

भारत गणतंत्र की सरकार तथा गण प्रजातंत्री बंगलादेश
की सरकार के बीच १वमान सेवाओं के सम्बन्ध में कारार

भारत गणतंत्र की सरकार तथा गण प्रजातंत्री बंगलादेश की सरकार, जिन्हें आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है;

इसे दृष्टि में रखते हुए कि दोनों देशों के भू-भागों के बीच तथा उनसे परे समानता तथा पारस्परिकता के आधार पर विमान सेवाएँ स्थापित करना और नागर विमानन के द्वात्र में उनके संबंधों को मजबूत करना बांधीय है;

इस १वश्वास के साथ १क विमान सेवाएँ स्थापित करने से दोनों राष्ट्रों के बीच मैत्री एवं सौहार्द की भावना को बनाये रखने व प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी;

तथा सुरक्षात्, नियमित, कुशल एवं फिल्मियो छवाई परिवहन की बावश्यकता को ध्यान में रखो हुए;

और उक्त प्रयोजनों के लिए एक कारार करने की इच्छा से;

निम्नलिखित बातों पर सहमत हुई हैं;

अनुच्छेद १

जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अधिक्षिण न हो, प्रस्तुत कारार के प्रयोजन के लिए:-

(क) "वैमानिक प्राधिकारी" पद का आशय भारत गणतंत्र के संबंध में नागर विमानन का महानिदेशक या कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय होगा जिसे उन कार्यों के करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो जिन्हें इस समय उक्त महानिदेशक छारा किया जाता है;

(ख) "वैमानिक प्राधिकारी" पद का आशय गण प्रजातंत्री बंगलादेश के संबंध में नागर विमानन का महानिदेशक या कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय होगा जिसे उन कार्यों के करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो जिन्हें इस समय उक्त महानिदेशक छारा किया जाता है;

-: 2 :-

- (ग) 'नार्मित विमान कम्पनी' पद का आशय एक ऐसी 'विमान कम्पनी' से है जिसे एक संविदाकारी पदा ने प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पदा को लिखित सूचना दे कर नार्मित किया है;
- (घ) 'भू-भाग', 'विमान सेवा', 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा' तथा 'यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए रुकना' पदों से आशय वही है जो 7 दिसम्बर, 1944 को 'शकागो में हस्ताक्षार के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अधिकारी प्रसमय के अनुच्छेद 2 व 96 में उनके लिए क्रमशः नाश्वत किया गया है।

अनुच्छेद 2

प्रत्येक संविदाकारी पदा दूसरे संविदाकारी पदा को प्रस्तुत करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्ग पर अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं (जिन्हें आगे 'विनिर्दिष्ट मार्ग' तथा 'सम्मत सेवाएं' कहा गया है) स्थापित करने के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करार में विनिर्दिष्ट अधिकार देता है।

2. प्रस्तुत करार के उपवधों के बीच इस प्रत्येक संविदाकारी पदा की विमान कम्पनी को, अनुसूचित सेवाओं का पारचालन करते समय, निम्नोल्लिखित अधिकार प्राप्त होंगे:-

(क) बगैर उतरे हुए संविदाकारी पदा के भू-भाग से हो कर उड़ान करना;

(ख) यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पदा के भू-भाग में रुकना।

3. विनिर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवाओंका पारचालन करते समय, एक संविदाकारी पदा की नार्मित विमान कम्पनी को दूसरे संविदाकारी पदा के भू-भाग में उन स्थानों पर, जो प्रस्तुत करार के अनुबंध में निर्दिष्ट कर दिए गए हैं यात्रियों, माल तथा डाक के अंतरराष्ट्रीय यातायात को उतारने व चढ़ाने के प्रयोजन के लिए रुकने का अधिकार होगा।

4. इस अनुच्छेद के किसी भी बंश का अर्थ किसी एक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी को यह अधिकार देना नहीं समझा जाएगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के मू-भाग में यात्रियों, माल अथवा डाक के ऐसे यातायात को भी चढ़ा सकें। जिसका गतव्य दूसरे संविदाकारी पक्ष के मू-भाग में है कोई अन्य स्थान हो ।

5. एक संविदाकारी पक्ष के ऐसे कानून, विनियम और अनुदेश जो वायुयान के इस संविदाकारी पक्ष के मू-भाग में प्रवेश करने, वहाँ से प्रस्थान करने अथवा उसके अन्दर परिचालन करने के संबंध में लागू होते हैं, वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के वायुयान पर भी, उक्त संविदाकारी पक्ष के मू-भाग में हो कर ऐसा परिचालन के दौरान लागू होंगे ।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्पूर्ण सेवाओं के परिचालन के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में एक या अधिक विमान कम्पनियाँ नामित करे ।

2. नामन की सूचना प्राप्त होने पर, दूसरा संविदाकारी पक्ष अपने ही वैमानिक प्राधिकारियों के माध्यम से इस अनुच्छेद के पैरा 3 व 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नामित विमान कम्पनी को अविलम्ब यथोचित परिचालन अधिकार दे देता ।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी से इस बात का आश्वासन मांग सकते हैं कि वे उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के परिचालन पर सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले कानूनों और विनियमों के अधीन विविहत शर्तों का पालन करने के लिए सज्जाम हैं ।

4. यदि कोई संविदाकारी पक्ष इस बात से संतुष्ट न हो कि उन विमान कम्पनियों का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण यथा पर्याप्त रूप से दूसरे संविदाकारी पक्ष अथवा उसके राष्ट्रिकों में निर्व्वित है तो उसको यह अधिकार होगा कि वह ऐसी विमान कम्पनी के नामन को स्वीकार करने से इन्कार कर दे या प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 2 के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी को रोक दे अथवा

ऐसे अधिकारों के प्रयोग के संबंध में विमान कम्पनी पर ऐसी शर्तें ला दे जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

5. इस अनुच्छेद के अंतर्गत नार्मित और प्राधिकृत की गयी विमान कम्पनी सम्पत्ति सेवाओं का परिचालन किसी भी समय प्रारंभ कर सकती है बश्यत कि अनुच्छेद 8 और 10 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा चुका हो ।

अनुच्छेद 4

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने पास यह अधिकार प्रारंभित रखता है कि यदि दूसरे संविदाकारी पक्ष की नार्मित विमान कम्पनी ने पहले संविदाकारी पक्ष के कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन न किया हो, अथवा उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो जिनके अधीन प्रस्तुत करार के अनुसार अधिकार दिए गए हैं, अथवा नार्मित विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण अब दूसरे संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रकों में निर्वाचित न रहा हो, तो वह परिचालन प्राधिकार को निलम्बित अथवा प्रतिसंहृत कर सकेगा या इस पर ऐसी उचित शर्तें ला सकेगा जिन्हें वह उचित समझे । जब तक कि संविधत संविदाकारी पक्ष के कानूनों तथा विनियमों अथवा प्रस्तुत करार के किसी उपबंध के इससे और आगे अतिलंघन को रोकने की दृष्टि से परिचालनों का तुरंत निलम्बन अथवा शर्तों का लाया जाना आवश्यक न समझा जाए, तब तक इस प्रकार की कार्यवाही प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 12 के अनुसार संविदाकारी पक्षों के बीच सलाह-मशविरा करके ही की जाएगी ।

अनुच्छेद 5

कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने भूभाग में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नार्मित विमान कम्पनी के विमानों द्वारा विमानदेशों तथा अन्य विमानन सुविधाओं के उपयोग के लिए उन प्रभारों से अधिक प्रभार न लेगा जो उसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लो पहले संविदाकारी पक्ष की अपनी राष्ट्रीय विमान कम्पनी के विमानों द्वारा चुकाए जाते हैं ।

निर्धारित किए जासौं तथा उनके चालू किए जाने से पूर्व दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जासौं। यदि नामित विमान कम्पनियां सहमत न हों संकें तो मामले को संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास भेज दिया जास्ता।

2. संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों द्वारा सहमत टैरिफों को यथाशीघ्र, तथा किसी भी हालत में उनके चालू किये जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि दोनों में से कोई भी वैमानिक प्राधिकारी उक्त टैरिफों की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के अंदर-अंदर अपनी असहमति प्रकट नहीं करते तो इन्हें अनुमोदित हुआ समझा जास्ता।

3. यदि टैरिफ इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार निर्धारित नहीं किए जाते अथवा इस प्रकार निर्धारित किए गए टैरिफों को किसी भी संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी अस्वीकार कर देते हैं, तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी, यथाशीघ्र, आपसी सहमति द्वारा टैरिफों को निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे। यदि संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो मामले को निपटान के लिए संविदाकारी पक्षों के पास भेज दिया जास्ता।

अनुच्छेद 11

दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी प्रस्तुत करार के प्रवर्तन तथा अर्थ-निर्वचन के संबंध में नियमित रूप से विचारों का आदान-प्रदान करते रहेंगे।

अनुच्छेद 12

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष प्रस्तुत करार में कोई भी संशोधन करने के लिए किसी भी समय विचार-विमर्श का अनुरोध कर सकता है। यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष यह समझे कि अनुच्छेद 11 के आशय के अनुसार विचार-विनियम अनिवार्य रहा है तो वह प्रस्तुत करार के अर्थ-निर्वचन तथा उसे लागू करने से

दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी द्वारा सम्मत सेवाओं पर परिचालित वायुयान एवं ऐसे वायुयान में रखे हुए उनके नियमित उपस्कर, ईंधन व स्नेहकों के भंडार तथा विमान सामग्री (जिसमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ तथा तम्बाकू भी सम्मिलित होंगे) दूसरे संविदाकारी पक्षा के भू-भाग में पहुंचने पर सीमा-शुल्क, निरीक्षण फीस तथा इसी प्रकार के अन्य प्रभारों से मुक्त होंगे बश्तैं कि ऐसे उपस्कर तथा भंडार पुनर्नियति किए जाने तक विमान पर ही रहें। इस प्रकार शुल्क-मुक्त किये गये उपस्कर तथा भंडार दूसरे संविदाकारी पक्षा के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की किरानी और नियंत्रण के बिना विमान से उतारे, स्टोर अथवा प्रयुक्त नहीं किए जाएं।

2. निम्नालिखित वस्तुएं भी उपर्युक्त शुल्कों, फीसों तथा प्रभारों से मुक्त होंगी, परंतु की गयी सेवाओं से संबंधित प्रभारों से मुक्त नहीं होंगी :-

- (क) दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षा के भू-भाग में उस संविदाकारी पक्षा के प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित की गयी सेवाओं में विमान पर ले जाई गयी विमान सामग्री (जिसमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ तथा तम्बाकू भी सम्मिलित हैं), जिसका एक दूसरे संविदाकारी पक्षा के अंतरराष्ट्रीय सेवा पर लगे विमान पर प्रयोग किया जाना हो;
- (ख) दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षा के भू-भाग में विमान पर लाए अथवा रखे गए फालतु पुँजे, जिनमें उनके हिस्से-पुँजे भी शामिल हैं, जो दूसरे संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी द्वारा प्रयुक्त हिस्से-पुँजों विमान में लाने अथवा उनके संधारण, परम्परा आवरहाल के लिए हों;
- (ग) दूसरे संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी द्वारा सम्मत सेवाओं पर परिचालित वायुयान को दिए जाने वाले ईंधन तथा स्नेहक, चाहे हनका प्रयोग यात्रा के उस भाग पर ही किया जाना हो जो उस संविदाकारी पक्षा के भू-भाग के ऊपर से जास्ती जहां से ये विमान पर लिए गए हैं।

ऊपर उप-पैरा (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सामग्री को सीमा-शुल्क अधिकारियों की निगरानी अथवा नियंत्रण में रखे जाने अथवा प्रयोग किए जाने को कहा जा सकता है।

3. कोई भी संविदाकारी पक्षा दूसरे संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी को तब तक सीमा-शुल्क, निरीक्षण फीस तथा इसी प्रकार के अन्य प्रभारों से छूट अथवा माफी देने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि दूसरा संविदाकारी पक्षा पहले संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी को ऐसे ही शुल्क, फीस अथवा प्रभारों से छूट अथवा माफी प्रदान नहीं कर देता।

बनुच्छेद 7

प्रत्येक संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी को विर्निर्दिष्ट मार्गों पर सम्पत्त सेवाओं के परिचालन में सब प्रकार से उचित तथा समान अवसर प्राप्त होंगे।

2. एक संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी द्वारा सम्पत्त सेवाओं के परिचालन में यह ध्यान रखा जास्ता कि दूसरे संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी के हितों की हानि न हो ताकि दूसरा पक्षा उस सारे मार्ग अथवा ऊसे किसी भाग में जो सेवाएं चलाता है ऊस पर कोई अनुचित प्रभाव न पड़ने पाए।

3. प्रदान की जाने वाली धारिता तथा परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कि इस अनुच्छेद के पैरा 1 व 2 में विविह सिद्धांतों के अनुसार, तथा संयुक्त रूप से सम्पत्त यातायात की अनुमानित अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर, संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी।

4. प्रदान की जाने वाली धारिता तथा दोनों पक्षों में से किसी भी संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी द्वारा परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कि वैमानिक प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी। जब तक इस प्रकार की सहमति या फैसला न हो जाए तब तक धारिता तथा सेवाओं की संख्या के बारे में जो अधिकार पहले से लागू हैं, वे ही लागू रहेंगे।

5. इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार सम्मत प्रकार से प्रदान की जाने वाली धारिता एवं परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या का स्पष्ट उल्लेख संविदाकारी पदों के वैमानिक प्रांधकारियों के बीच होने वाले पत्रों के विविध में किया जास्ता ।

अनुच्छेद 8

प्रत्येक संविदाकारी पदा अपनी नामित विमान कम्पनी से दूसरे संविदाकारी पदा के वैमानिक प्रांधकारियों की विमान सेवा के प्रकार, उपयोग किए जाने वाले वायुयान के प्रकार, उड़ानों की अनुसूचियों, टैरिफ अनुसूचियों से संबंधित सूचना तथा सम्मत सेवाओं के परिचालन से संबंधित अन्य सभी संत सूचनाओं को, जिनमें ऐसी सूचनाएं भी सम्मिलित होंगी जो वैमानिक प्रांधकारियों को पर्याप्त रूप से इस बात की तस्ली कराने के लिए आवश्यक हों कि प्रस्तुत करार की शर्तों का आवश्यक पालन हो रहा है, सम्मत सेवाओं के परिचालन होने से पहले जिनी जल्दी हो सके उनी जल्दी भिजवाएगा । सम्मत सेवाओं से संबंधित किसी भी पारवर्तन पर भी इस अनुच्छेद की शर्त इसी प्रकार लागू होंगी ।

अनुच्छेद 9

दोनों में से किसी भी संविदाकारी पदा के वैमानिक प्रांधकारी दूसरे संविदाकारी पदा के वैमानिक प्रांधकारियों को अपनी विमान सेवाओं द्वारा प्रत्येक मास में दूसरे संविदाकारी पदा के भू-भाग को या भू-भाग से ले जाए गए यातायात संबंधी आंकड़े मेंजा जिनमें ऐसे यातायात के चढ़ने और ऊरने के स्थानों का विवरण भी रहेगा । ऐसे आंकड़े मांग किए जाने पर शीप्रातिशीघ्र मेज दिए जाएंगे और किसी भी हालत में उस अवधि के, जिस अवधि से वे संबंधित हैं, ७० दिनों के अंदर-अंदर अवश्य मेज दिए जाएंगे ।

अनुच्छेद 10

विविर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं पर यात्रियों, माल व सामान के बहन के लिए एक संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी द्वारा लिए जाने वाले टैरिफ दोनों संविदाकारी पदों की नामित विमान कम्पनियों के बीच सहमति द्वारा

- 9 :-

संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार का विचार-विमर्श अनुरोध की तारीख से 60 दिन की अवधि के भी तर आरंभ कर दिया जाएगा। दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच सहमत हुआ कोई भी संशोधन परस्पर सहमति से निर्धारित तथा राजनीय पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा अनुसर्वार्थित की गयी तारीख से लागू होगा।

अनुच्छेद 13

यदि प्रस्तुत करार के अर्थ-निर्वचन अधिवा लागू करने के संबंध में कोई भी विवाद हो तो पहले संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी परस्पर वार्ता द्वारा उसका फैसला करने का प्रयत्न करेंगे; जिसके असफल होने पर विवाद को फैसले के लिए दोनों संविदाकारी पक्षों के पास भेज दिया जाएगा।

अनुच्छेद 14

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पर्स को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के पारचालन के पारणाप्रवर्हण सचें नकाल कर बची बाय को निर्बाध रूप से विनियम योग्य मुद्रा में अपने मुख्यालय को हस्तांतरत करने का अधिकार प्रदान करेगा बशर्ते एक सम्बद्ध रांविदाकारी पक्ष की मुद्रा नियंत्रण विपचारिकताओं की पूर्ति कर दी गयी हो।

अनुच्छेद 15

प्रस्तुत करार का अनुबंध करार का है। अंग माना जाएगा।

प्रस्तुत करार उस पर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू हो

जाएगा।

-: 10 :-

अनुच्छेद 16

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को किसी भी समय इस आशय का लिंसित नोटिस दे सकता है कि वह वर्तमान क्रारार को समाप्त करना चाहता है। याद इस प्रकार का नोटिस दिया जाता है तो याद दूसरे संविदाकारी पक्ष को नोटिस मिलने के बारह महीने की अवधि से पहले ही उपक्रान्ति कर के यह नोटिस वापस न ले लिया जाए तो उसका ग्राही ने समाप्त पर यह क्रारार समाप्त हो जाएगा।

आज १ दिनांक ५ मई १९७८ को डाक्टर मूल प्रांतियों पर, जिनमें ऑर्जी, अहन्दी तथा बांगाली भाषाओं में से प्रत्येक के दो-दो प्रांतियां हैं और जो सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, हस्ताक्षार किए गए। याद वर्ध-निर्वचन के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो ऑर्जी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा।

के ली एस मेनन

(के. ली. एस. मेनन)

कृते भारत गणतंत्र के सरकार

संसदीय अधिकारी

(ए.वी. एन. राजाम सुखाना)

कृते गण प्रजातंत्री कांगड़ादेश के सरकार

अनुबंध

खण्ड 1

गण प्रजातंत्री बांलादेश की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी को इस खण्ड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर दोनों दिशाओं में समृद्ध सेवाएँ पारचालत करने और भारत गणतंत्र के मू-भाग में इस खण्ड में निर्दिष्ट स्थानों पर यातायात के प्रयोजनों के लिए उतरने का अधिकार प्राप्त होगा ।

<u>उद्दाम स्थान</u>	<u>मध्यवर्ती स्थान</u>	<u>भारत गणतंत्र के स्थान</u>	<u>आगे के स्थान</u>
---------------------	------------------------	------------------------------	---------------------

1. बंगलादेश	-	कलकत्ता	
2. बंगलादेश	-	बंबई	(क) बहरीन अथवा दुबाई ; (ख) बादाद अथवा काल्हरा ; (ग) एथन्स अथवा बेलौड अथवा पूर्वी बौर्लीन अथवा प्रेग ; (घ) फ्रैंकफर्ट अथवा ब्रूसेल्ज अथवा एम्स्टर्डम ; (ड) लन्दन ।

- टिप्पीण्याः : (1) बंबई फ्रैंकफर्ट बंबई सेक्टर पर गण प्रजातंत्री बंगलादेश की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी किसी यात्री यातायात का वहन नहीं करेगी ।
- (2) उपर्युक्त स्थानों के लिए सेवाएँ उल्लङ्घन क्रम में पारचालता करना आवश्यक नहीं है ।
- (3) नामित विमान कम्पनी को निर्दिष्ट मार्गों पर उल्लङ्घन किसी भी स्थान अथवा स्थानों को छोड़ जाने का छूट होगा ।
- (4) 'आगे के स्थान' कालम में दो अथवा दो से अधिक स्थानों के बीच जब 'अथवा' शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ यह होगा कि नामित विमान कम्पनी को अपनी समस्त सेवाओं पर प्रत्येक सेट में से केवल एक ही स्थान से हो कर पारचालन करने का अधिकार होगा । ऐसे स्थान के चयन करने के विमान कम्पनी को किये गये अधिकार का प्रयोग वह प्रत्येक क्रम में से केवल एक बार ही कर सकती और उस अवधि के दौरान उसे उस सेट के संबंध में दूसरी बार स्थान चयन का अधिकार नहीं होगा ।

खण्ड 2

भारत गणतंत्र की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी को इस खण्ड में निर्दिष्ट मार्गों पर दोनों दिशाओं में सम्मत सेवारं पारचालित करने और गण प्रजातंत्री बंगलादेश के भू-भाग में इस खण्ड में निर्दिष्ट स्थानों पर यातायात के प्रयोजनों के 1लए उत्तरने का अधिकार प्राप्त होगा ।

उद्घाम स्थान	मध्यवर्ती स्थान	गण प्रजातंत्री बंगलादेश के स्थान	आगे के स्थान
1. भारत	-	(क) ढाका (ख) चट्टग्राम	-
2. भारत	-	डाका	(क) रंगून अथवा हनोई अथवा भारत गणतंत्र की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी द्वारा पथें और जिहान में से चुना जाने वाला आस्ट्रोलिया का कोई एक स्थान ; (ख) बिस्टी न अथवा सेगोन अथवा ज्कार्ता अथवा मर्ला ; (ग) हांगकांग अथवा सिंगापुर अथवा भारत गणतंत्र के सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी द्वारा कुआला लप्पुर और पेनांग में से चुना जाने वाला मलेशिया का कोई एक स्थान ; (घ) ओसाका ; (ङ) टोकियो ।

- टर्मिणेश्यों : (1) डाका। सिंगापुर। डाका सेक्टर पर भारत गणतंत्र की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी निर्दिष्ट यात्री यातायात का वहन नहीं करेगा ।
(2) उपयुक्त स्थानों के 1लए सेवारं उल्लिखित क्रम में पारचालित करना आवश्यक नहीं है ।
(3) नामित विमान कम्पनी को निर्दिष्ट मार्गों पर उल्लिखित निर्दिष्ट स्थान अथवा स्थानों को छोड़ जाने की कूट होगी ।
(4) भारत गणतंत्र की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी एक ही उड़ान पर डाका तथा चट्टग्राम के लिए सेवारं पारचालित नहीं करेगा ।
(5) 'आगे के स्थान' कालम में दो अथवा दो से अधिक स्थानों के बीच जब 'अथवा' शब्द का प्रयोग निकाय जाए तो अका अर्थ यह होगा कि नामित विमान कम्पनी को अपनी समस्त सेवाओं पर प्रत्येक सेट में से केवल एक ही स्थान से हो कर पारचालन करने का अधिकार होगा । ऐसे स्थान के चयन करने के विमान कम्पनी को दिये गये अधिकार का प्रयोग वह प्रत्येक ही भई ने में केवल एक बार ही कर सकती और उस अवधि के दौरान उसी सेट के संबंध में दूसरी बार स्थान चयन का अधिकार नहीं होगा ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এবং

প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে

বিমান চলাচল চৰ্কত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার অভিযোগ ইহাতে "চুক্তি সম্পাদনকাৰী পক্ষসম" দিয়া অভিহিত;

সমতা ও পারম্পরিক সম্পর্ক ও স্থাবিক ভিত্তিতে উভয় দেশ তাঁহাদের ভূ-খণ্ডের মধ্যে ও উহার দ্বারা দায়িত্ব দিয়ান চোলে পরিচালনা কৰা এবং বেসামুরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে তাঁহাদের সম্পর্ক চোরদার কৰা বাধ্যনীয় দিয়েচলা কৰতঃ;

বিমান চলাচল প্রচলন জনগণের মধ্যে বকুল ও শমৰোতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহায়তা কৰিবে এই সমৰ্থন দেয়-
পূর্বক;

নিরাপদ, নিয়মিত, দক্ষ এবং গিতবায়ী বিমান পরিবহনের আবশ্যকতা মনে রাখিয়া;

১০.(৮)

এবং উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ কৰিয়া নিয়ুক্ত মন্ত্রৈকে উপনীত হইয়াছেন:

১ম অনুচ্ছেদ

প্রদেশের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে, এই চুক্তির উদ্দেশ্যে:—

- (ক) "বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ" বলিতে, প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের ক্ষেত্রে, বেসামুরিক বিমান চলাচল সংস্থাত
মহাপরিচালক অথবা তিনি বর্তমানে যে সকল দায়িত্ব পালন কৰিয়া থাকেন সেই সকল দায়িত্ব পালনের জন্য
ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বাস্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুৰাইবে;
- (খ) "বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ" বলিতে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, বেসামুরিক বিমান চলাচল সংস্থাত
মহাপরিচালক অথবা তিনি বর্তমানে যে সকল দায়িত্ব পালন কৰিয়া থাকেন সেই সকল দায়িত্ব পালনের জন্য
ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুৰাইবে;
- (গ) "নির্ধারিত বিমান সংস্থা" বলিতে, এই চুক্তির ওয় অনুচ্ছেদ মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনকাৰী এক পক্ষ অপৰ
পক্ষের নিকট লিখিতভাবে যে বিমান সংস্থা নির্ধারণ কৰিয়াছেন সেই বিমান সংস্থাকে বুৰাইবে;
- (ঘ) "ভূ-খণ্ড", "বিমান চলাচল", "আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল" এবং "চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি দ্বিরিত" অভিব্যক্তিগুলির অর্থ, ১৯৪৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর বিধানগোত্তে দ্বাক্ষরের অন্য উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক বেসামুরিক
বিমান চলাচল সম্পর্কিত কন্ডেনশনের ২ ও ৯৬ অনুচ্ছেদে মেকেপ কৰা হইলে, মেকেপ অৰ্থ বহন কৰিবে।

২য় অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকাৰী প্রত্যেক পক্ষ এই চুক্তিৰ পৰিশিষ্টে বধিত (যাহা "অভিযোগ পৰ্যাপ্ত বিমান চলাচল" এবং "নির্দিষ্ট
বিমান-পথ" দিয়া অভিহিত) বিমান-পথে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল প্রচলনের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনকাৰী অপৰ পক্ষকে
চুক্তিতে বণিত অধিকাৰসমূহ প্ৰদান কৰিবেন।

২। চুক্তি সম্পাদনকাৰী প্রত্যেক পক্ষের বিমান সংস্থা এই চুক্তিৰ বিধানাবলী সামৰণে, নির্ধারিত বিমান চলাচল পরিচালনাকালে নিয়ুক্তিগত অধিকাৰ লাভ কৰিবেন:—

- (ক) চুক্তি সম্পাদনকাৰী অন্য পক্ষের ভূ-খণ্ডে অবতৰণ না কৰিয়া উহার উপৰ দিয়া উড়িয়া যাইতে পাৰিবে;

(খ) চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের ভূ-খণ্ডে যাত্রা বিবরিতি করিতে পারিবে।

৩। চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা নির্দিষ্ট বিমান-পথে খৌক্ত বিমান চলাচল পরিচালনাকালে আন্তর্জাতিক পরিবহনে যাত্রী, মাল এবং ডাক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের ভূ-খণ্ডে এই চুক্তির পরিপিণ্ঠে বর্ণিত যানবাহনে টাঁচা-নামা করিতে পারিবে।

৪। এই অনুচ্ছেদের কোন কিছু চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের বিমান সংস্থাকে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের ভূ-খণ্ডের বর্ষে সেই অপর পক্ষের ভূ-খণ্ডের কোন স্থানে প্রেরণের জন্য যাত্রী, মাল বা ডাক গ্রহণের সুবিধাদি প্রদান করে বিমান পক্ষ হইবে না।

৫। চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের পক্ষের ভূ-খণ্ডে বিমানের আগমন, প্রয়োজন অথবা উহার পরিচালন সংক্রান্ত আইন, প্রবিধান এবং নির্দেশাবলী চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের বিমানের ধৃতি উক্ত ভূ-খণ্ডে বিমান চলাচল পরিচালনাকালে প্রযোজ্য হইবে।

৩য় অনুচ্ছেদ

নির্দিষ্ট বিমান-পথে খৌক্ত বিমান চলাচল পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ উহার এক বা একাধিক বিমান সংস্থাকে অপর পক্ষের নির্দিষ্ট নির্ধারণ করিয়া দিবার অধিকারী হইবেন।

২। বিমান সংস্থার নির্ধারণ সম্পর্কে অবহিত ইহার পর, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষ এই অনুচ্ছেদের ৩ ও ৪ প্যারাগ্রাফে বিধানাবলী সাপেক্ষে, এবং স্থায়ী বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উক্ত নির্ধারিত বিমান সংস্থাকে অধিকার্য যথাযথ বিমান পরিচালনা অনুমতি-পত্র প্রদান করিবেন।

৩। চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল পরিচালনার ক্ষেত্রে যাচারণত: প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত শর্তাবলী তাঁহারা পালনের যোগ্য বিনা তৎসম্পর্কে উক্ত বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের সহিত বিদান করিবেন।

৪। যে ক্ষেত্রে বিমান সংস্থাগুলোর বাস্তব যানবাণী এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চুক্তি সম্পাদনকারী দ্বৈন এক পক্ষের বা উহার নাগরিকগণের উপর অধিক ধারে সেই ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ উক্ত বিমান সংস্থার নির্ধারণকরণ মালিকা সহিতে অব্যুক্তি আপনের বা এই চুক্তির ২য় অনুচ্ছেদের ৩য় প্যারাগ্রাফ বিধিকার প্রদান প্রত্যাহার বিবিধ অধিকারী হইবেন অথবা উক্ত এক পক্ষ, অপর পক্ষের বিমান সংস্থা কর্তৃক অনুরূপ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উহার ধৃতি প্রযোজ্যনীয় শর্ত আরোপ করিবার অধিকারী হইবেন।

৫। ৮ ও ১০ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী পালিত ইহার পর, এই অনুচ্ছেদ মোতাবেক নির্ধারিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিমান সংস্থা যে কোন সময়ে খৌক্ত বিমান চলাচল আরত করিতে পারিবে।

৪য় অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের আইন ও প্রবিধানসমূহ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা পালনে ব্যর্থ হইলে অথবা যে সকল শর্তে এই চুক্তি নোতাবেক অধিকারিসমূহ প্রদান করা হইয়াছে সেই সমস্ত শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে অথবা চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের বা উহার নাগরিকগণের উপর নির্ধারিত বিমান সংস্থার প্রকৃত যানবাণী ও কার্যকর নির্মাণ ব্যবস্থা অধিক না থাকিলে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষের, বিমান পরিচালনার অনুমতি প্রদান প্রত্যিত বা তদ ক্ষেত্রে অথবা উহার গতে প্রযোজনীয় যথাযথ শর্তাবলী আরোপ করিবার অধিকার সংশ্লিষ্ট অপর পক্ষের জন্য সংশ্লিষ্ট থাকিবে। চুক্তি সম্পাদনকারী সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইন ও প্রবিধানসমূহ অথবা এই চুক্তির বোন বিমান আরও লজ্জন প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে বিমান সম্পাদনকারী পক্ষগণের মধ্যে আলাপ-যানোচানীর পর ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রযুক্ত করা হইবে, এই চুক্তির ১২শ অনুচ্ছেদ মোতাবেক চুক্তি পরিচালনা অধিকারে প্রতিবেদন করা হইবে।

৫ নং অন্তর্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের ভূ-বিশে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার বিমান বিমান-বন্দর ম্যানেজমেন্ট এবং বিমান চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য স্থায়োগ-স্থিতি লাভ করিলে উজ্জ্বল্য প্রধান পক্ষের ভূ-বিশে আরোপিত উজ্জ্বলের পরিমাণ তাহাদের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নির্যোগিত জাতীয় বিমান সংস্থার বিমান কর্তৃক পরিমাণাদিত অর্থের চেয়েও অধিক হইবে না।

৬ষ্ঠ অন্তর্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত বিমান-পথে পরিচালিত কোন বিমান, উহার নিয়ন্ত্রণাধীন সরঞ্জাম, ও বিমানে সরবরাহকৃত জালানী ও বৃক্ষিকেটিং তৈল এবং (খাদ্য, পানীয় ও তামাক-জ্বাত প্রয়াদিসহ) উহার স্বর্য-ভাঙ্গার বাবল কোন বিহিংশুলক দিতে ইইবে না এবং চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের ভূ-বিশে বিমান পৌছিবার পর উহার পরীক্ষণ-ফিস এবং অনুকূল অন্যান্য খরচাদিও প্রদান করিতে ইইবে না, যদি উক্ত বিমানে এই সকল সরঞ্জাম এবং সরবরাহ শক্তিশূল থাকে তবে তাহা পুনরায় রখানী না করা পর্যন্ত কোন দিন বা খরচ দিতে ইইবে না এবং এইকলে যে সকল সরঞ্জাম ও সরবরাহের উপর ইইতে শুলক শক্তিশূল করা হইবে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের শুলক কর্তৃপক্ষের উক্তবিধানে এবং নির্যোগাধীনে ব্যক্তিত তাহা খালাস বা শক্তিশূল অধিবা ব্যবহার করা যাইবে না।

২। নিয়ন্ত্রিত স্বর্যাদির উপর ইইতেও উপরি-গুরুত্বিত শুলক, দিন এবং অন্যান্য খরচাদি নাম্বুক করা হইবে তবে মেরামত সংক্রান্ত খরচাদি শক্তিশূল করা হইবে না :—

- (ক) চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের ভূ-বিশে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নির্যোগিত বিমানে ব্যবহারের অন্য চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত পক্ষের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত সীমানার মধ্যে (খাদ্য, পানীয় ও তামাক-জ্বাত প্রয়াদিসহ) যে সকল দ্ব্যা বিমানে ইইবেন তাহা;
- (খ) চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষের ভূ-বিশে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা কর্তৃক বিমানের সংযোগ-সাধন বা উহার রাফ্যাল-বেশধরের উদ্দেশ্যে অথবা উহার উপরবরণ-জীর্ণতা সংস্থারের উদ্দেশ্যে বিমান-উপকরণসহ খুচরা যত্নাশ উক্ত বিমানের অগুর্জুক করা বা লাগো ইইবা খাবিলে তাহা;
- (গ) চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার কোন বিমান স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনাকারী উক্ত বিমানে সরবরাহের উদ্দেশ্যে জালানী এবং বৃক্ষিকেটিং তৈল চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষের ভূ-বিশের মধ্যে সংগৃহীত হইয়া থাকিলে উক্ত সংগৃহীত সরবরাহ বিমানের ব্যাপকের মধ্যে কোন হানে ব্যবহার হইলেও এই সকল সরবরাহ।

উপরি-উক্ত উপ-অন্তর্ছেদের (ক), (খ) এবং (গ)-এ বিধিত স্বর্যাদি শুলক কর্তৃপক্ষের উক্তবিধানে বা নির্যোগাধীনে এখনও ও ব্যবহৃত হইবে।

৩। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষ অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থাকে বিহিংশুলক, পরীক্ষণ-ফিস অথবা অনুকূল অন্যান্য উক্তবিধান শক্তিশূল না করিলে বা উহা হইতে অব্যাহতি না দিলে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রথম পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা অনুকূল বিহিংশুলক, পরীক্ষণ-ফিস বা উক্তবিধান হইতে উক্ত অপর পক্ষকে অব্যাহতি দিলেন না অথবা উহা শক্তিশূল করিলেন না।

৭ম অন্তর্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা নির্দিষ্ট বিমান-পথে স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল প্রকার ন্যায় ও সমান স্থায়োগ-স্থিতি ভোগ করিবে।

২। চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা কর্তৃক শীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনাকালৈ চুক্তি সম্পাদন-কারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার স্বার্থ সম্পর্কে এইভাবে পিবেচনা করিতে হইলে যেন উক্ত সম্পূর্ণ বিমান-পথে বা উহার অধিবিশেষ শেয়োক বিমান সংস্থার পরিচালিত বিমান চলাচল অসংক্রান্তভাবে অভিষ্ঠান না হয়।

৩। এই অনুচ্ছেদের ১ম ও ২য় প্রারম্ভ বধিত নীতি মোতাবেক বিমানের পরিবহন ক্ষমতা এবং উহার চলাচল সংস্থা চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে হিস্ট করা হইবে এবং তাহা হিস্ট করা কালে প্রযোজনীয় বিমান চলাচলের বিষয়টি তাঁহারা যৌথভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৪। চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার অন্য অনুমোদনযোগ্য বহনক্ষমতা বা পরিচালনযোগ্য বিমান চলাচল সংস্থা উভয় পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের স্টেক্য অনুযায়ী বৃক্ষি করা হইবে। অনুকূল কোন স্টেক্য স্বাপিত বা ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিবহন ক্ষমতা এবং বিমান চলাচল সংস্থা সংক্রান্ত পূর্ব প্রচলিত অধিকার বলবৎ ধারিবে।

৫। এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী মোতাবেক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে শীকৃত বহনক্ষমতা এবং চলাচল সংস্থা চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের শব্দে পত্র বিনিয়নের দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইবে।

৮ম অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ উহার বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অপর পক্ষের বিমান পরিচালন দ্বারা পক্ষের নিবন্ধ যথাগত্বের স্বীকৃত বিমান চলাচল উত্থাপনের পূর্বে এই চুক্তির শান্তিবর্ণী যথাবস্থাকালৈ পালিত হইতেছে এই বর্ণ বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের সহজ উচ্ছেষ্যে সঙ্গত প্রযোজনীয় তথ্যবর্জিসহ বিমান চলাচলের ব্রহ্ম, ব্যবহার বিমান, কুইট ও শুল্ক উক্ফীল এবং শীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনা সম্পর্কিত প্রাপ্তিক্রিয়া অন্যান্য তথ্যাবলী সমন্বাহন দ্বারা করিবেন। এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী শীকৃত বিমান চলাচলের কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একই প্রকারে প্রযোজ্য হইবে।

৯ম অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ, অপর পক্ষের ভূ-পথে বা ভূ-পথে হইতে থতি সামে তাহাদের বিমানে যতজন যাত্রী যাত্রায়ত করিয়াছেন তাহাদের আবেদন ও অবস্থার দ্বারের নাম উরেখ করিয়া উহার পরিসংখ্যান চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ দ্বারিবেন। এবং উক্ত পরিসংখ্যান যথাগত্বে শীঘ্ৰ সরবরাহ করিতে হইবে এবং যে কোন প্রকারে হটক না কেন, তাহা যে সময় সংক্রান্ত সেই সময় হইতে নব্বই দিনের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে।

১০ম অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা নির্দিষ্ট বিমান-পথে শীকৃত বিমানে চলাচলের মধ্যে যাত্রী, যাজি, যাত্রীর শালামাল বহনের অন্য যে শুল্ক ধার্য করিবেন তাহা চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার সম্মতিক্রমে হিস্ট করা হইবে এবং বিমান চলাচল প্রবর্তনের পূর্বে তাহা চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অন্য পেশ করা হইবে। নির্ধারিত বিমান সংস্থা স্টেক্যে উপর্যুক্ত হইতে ব্যৰ্থ হইলে, চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা হইবে।

২। চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের নির্ধারিত বিমান সংস্থার সম্মতিক্রমে হিস্ট কর্তৃপক্ত শুল্ক-তালিকা, যথাশীঘ্ৰ সম্ভব এবং যে ধূকারেই হটক না কেন, বিমান চলাচল প্রবর্তনের প্রাপ্তিক্রিয়া তারিখের অন্ততঃ পাট দিন পূর্বে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অন্য পেশ করিতে হইবে। উক্ত শুল্ক-তালিকা প্রাপ্তিক্রিয়া তারিখ হইতে পৰ্যাপ্ত দিনের মধ্যে যদি কোন বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ উহা অনুমোদনে অগ্রসূতি জাপন না করেন তবে উক্ত শুল্ক-তালিকা অনুমোদিত বিলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩। এই অনুচ্ছেদের ১ম প্রাচীর মোতাবেক যদি শুল্ক থিব করা না হয় অথবা অনুকূলভাবে খুরীকৃত শুল্ক চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ যদি অনুমোদন না করেন তাহা হইলে চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের দিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্ৰ সম্ভব তাঁহাদের পরাম্পরিক সংস্কৃতিগুলি শুল্ক নির্ধারণের অন্য প্রচেষ্টা চাহিবেন। চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ অনুকূল ঘটতেক্যে উপনীত হইতে বার্গ হইলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

১১শ অনুচ্ছেদ

এই চুক্তির প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত মতামত বিনিয়োগ করিবেন।

১২শ অনুচ্ছেদ

এই চুক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষ যে কোন সময়ে অনুরোধ জানাইতে পারিবেন। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষ যদি বনে করেন যে, ১১শ অনুচ্ছেদের তাৎপর্যবীনে মতামত বিনিয়োগের কাজ চূড়ান্ত হয় নাই তাহা হইলে এই চুক্তির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ব্যাপারে আলোচনা প্রয়োজনও হইতে পারে। এবং তত্ত্বজ্ঞ অনুরোধের তাৰিখ হইতে মাটি দিনের মধ্যে উক্ত আলোচনা আৱত্ত হইবে। যে সংশোধনীতে চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষেরই সমত্ব ধাকিবে তাহা তাঁহাদের পরাম্পরের মধ্যে কূটনৈতিক পক্ষাম পত্র বিনিয়োগে মাধ্যমে নির্ধারিত ও অনুমোদিত তাৰিখে বলৱৎ হইবে।

১৩শ অনুচ্ছেদ

যদি এই চুক্তির ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ সম্পর্কে কোন বিবোধের স্থষ্টি হয় তাৰে চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার নাম্বয়ে তাহা নিষ্পত্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাইবেন এবং এইকূপ প্রচেষ্টা বার্গ হইলে বিবোধটির নিষ্পত্তির জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের নিকট উচ্চ প্রেরণ করা হইবে।

১৪শ অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যোক পক্ষ চুক্তির অপৰ পক্ষকৰ্তৃক বিনিয়োগ-নির্যন্ত্ৰণ অনুষ্ঠানিকতা পালন সাধেক্ষে উক্ত পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংখ্যাকে, উহার নির্দিষ্ট বিমান-পক্ষে স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনাৰ কলে যে ব্যয় হইবে তাৰিখের আদ্যের অৰ্থ অবাধে পরিবৰ্তনযোগ্য মুদ্রায় উহার প্রধান কার্যালয়ে স্থানান্তরেৰ অধিকারী প্রদান করিবেন।

১৫শ অনুচ্ছেদ

এই চুক্তিৰ পৰিশিষ্ট ইহার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

২। এই চুক্তি স্বাক্ষৰের তাৰিখ হইতে বলৱৎ হইবে।

১৬শ অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যোক পক্ষ যে কোন সময়ে চুক্তিৰ অপৰ পক্ষকে লিখিত মোটীশ প্রদান কৰিয়া এই চুক্তিৰ অবসান ঘটাইবার ইচ্ছা প্রকাশ কৰিতে পারিবেন। অনুকূল মোটীশ প্রদান কৰাৰ পৰ, চুক্তিৰ অপৰ পক্ষ কৰ্তৃক উহা প্রাপ্তিৰ তাৰিখেৰ বাবে যাগ পৰ এই চুক্তিৰ অবসান হইবে। যদি উক্ত মোটীশ উত্তীৰ্ণ হইবার পূৰ্বে কোন চুক্তিৰ হাতৰ উক্ত মোটীশ প্রত্যাহাৰ কৰা না হয়।

অন্য ১৯৭৮-সালেৰ ত্রৈমাসীন তাৰিখে চাকায় এই চুক্তিৰ দুইটি ইংৰাজী, দুইটি হিন্দী এবং দুইটি বাংলা ভাষায় মোট ছয়টি মূল লিপি সম্পাদিত হইল। এই মূল লিপিসমূহ সমভাৱে অনুমোদিত, তাৰে ব্যাখ্যাৰ ব্যাপারে কোন অ্যাসেম্বলিৰ সেতো ইংৰাজী পাঠই প্ৰাধিন্য পাইবে।

মেলম মেলম -

(এ. বি. এম. গোলাম খেলতকা)

গণপ্রজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ সরকারেৰ পক্ষে।

কে. পি. এম. মেলম

(কে. পি. এম. মেলম)

প্ৰজাতন্ত্ৰী ভাৰত সরকারেৰ পক্ষে।

পর্যালিষ্ট

১ ধারা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচিত বিমান সংস্থা এই ধারায় নির্দিষ্ট দিমান-পথের উভয় দিকে শীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনার অধিকারী হইবে এবং বিমান চলাচলের উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রী ভারত-ভূখণ্ডের তথাবিত স্থানসমূহে অবস্থান করিতে পারিবে।

যত্না শুরুর স্থান	যথবতী স্থান	প্রজাতন্ত্রী ভারতের অঙ্গরূপ স্থানসমূহ	বহির্ভূত স্থানসমূহ
১। বাংলাদেশ	নাই	কলিকাতা	নাই
২। বাংলাদেশ	নাই	বোম্বাই	(ক) নাহরাইন অথবা দুর্বাই ; (খ) বাগদাদ অথবা কার্যরো ; (গ) এথেন্স অথবা মেলিয়েড অথবা পূর্ব বারিন অথবা প্রাণ ; (ঘ) কুকুর্কুট অথবা প্রাসেন্দ্ৰ অথবা আস্টোর্ডাম ; (ঙ) লঞ্জন।

টীকা :— (১) বোম্বাই/কুকুর্কুট/বোম্বাই অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচিত বিমান সংস্থা যাত্রী বহন করিবে না।

(২) উপরি-উল্লিখিত স্থানসমূহে নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী বিমান পরিচালনার প্রয়োজন নাই।

(৩) নির্বাচিত বিমান সংস্থাসমূহের ইচ্ছাক্রমে নির্দিষ্ট দিমান-পথের মোন স্থান বা স্থানসমূহকে দাদ দেওয়া যাইবে।

(৪) “বহির্ভূত স্থানসমূহ” শীর্ষক কলামে উল্লিখিত দুই বা ততোধিক স্থানের নামের মধ্যে “অগ্রন্ত” বল্দের দ্বারা স্থানের স্থান বুঝাইবে যে, নির্বাচিত বিমান সংস্থা ভারতের সকল বিমান চলাচল পরিচালনার স্থানসমূহ ছইতে একটিভাবে স্থানে বিমান চলাচল পরিচালনা করিতে পারিবে। অনুকূল স্থান নির্বাচনের ফলে কোন বিমান সংস্থার সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষমতা প্রতি ছয় শাস্তি মাত্র একবার থ্রয়োগ করা যাইবে এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে একই স্থানসমূহ নির্বাচনের ফলে দ্বিতীয়স্থানের নির্বাচন ক্ষমতা প্রযোগের স্থূল্যেগ থাকিবে না।

২ ধারা

প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের নির্বাচিত বিমান সংস্থা এই বারায় নির্দিষ্ট বিমান-পথের উভয় দিকে থীবৃত্ত দিমান চলাচল পরিচালনা করিবার অধিকারী হইবে এবং বিমান চলাচলের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভূখণ্ডের তথাবিত স্থানসমূহে অবতরণ করিতে পারিবে।

যাত্রা শুরুর স্থান	মধ্যবর্তী স্থান	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা- দেশের অন্তর্গত স্থানসমূহ	বহির্ভূত স্থানসমূহ
১। ভারত	নাই	(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম	নাই
২। ভারত	নাই	ঢাকা	(ক) নেপুন অথবা হ্যামের অথবা অট্রেলিয়ার অবস্থিত পার্দ এবং সিডনীর মধ্যে কোন স্থান যাত্রা প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের নির্বাচিত বিমান সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইবে ; (খ) ডিমেনতিয়েন অথবা সায়গন অথবা চাকার্তা অথবা ম্যানিলা ; (গ) হংকং অথবা সিঙ্গাপুর অথবা মারসে- শিয়ান অবস্থিত কোয়াজালামপুর ও পুনাং-এর মধ্যে কোন স্থান যাত্রা প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের নির্বাচিত বিমান সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইবে , (ঘ) ত্যাকা ; (ঙ) চৌকিও ।

টৈকা :— (১) ঢাকা/সিঙ্গাপুর/ঢাকা অকলে প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের নির্বাচিত দিমান সংস্থা যাত্রী বহন করিবে না।

- (২) উপরি-উল্লিখিত স্থানসমূহে নির্দিষ্ট জয়নুগামী বিমান পরিচালনার প্রয়োজন নাই।
- (৩) নির্বাচিত বিমান সংস্থাসমূহের ইচ্ছাক্রমে নির্দিষ্ট বিমান-পথের কোন স্থান বা স্থানসমূহকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে।
- (৪) প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের নির্বাচিত বিমান সংস্থার কোন বিমান একই ফ্লাইটে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম চলাচল করিবে না।

(৫) “বহির্ভূত স্থানসমূহ” শীর্ষক কলায়ে দুই বা ততোধিক স্থানের নামের মধ্যে “অথবা” শব্দের ব্যবহারের কারণ
বুঝাইবে যে, নির্বাচিত বিমান সংস্থা তাহাদের শক্তি বিমান চলাচল পরিচালনার স্থান-সমষ্টি হইতে ক্ষেত্রমাত্র এক স্থানে
বিমান চলাচল পরিচালনা করিতে পারিবে। অনুকূল স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিমান সংস্থার যে ঐচ্ছিক সম্ভাব্য সংবন্ধিত
বিহিত তাহা উজ্জ্বল সংস্থা প্রতি ছয় মাসে যাত্র একবার প্রয়োগ করিবে এবং সেই স্থানের মধ্যে উক্ত একই স্থান-সমষ্টি নির্বাচনের
ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণবার কোন নির্বাচন ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ ধারিবে না।

भारत गणतंत्र की सरकार तथा गण प्रजातंत्री बंगलादेश
की सरकार के बीच विमान सेवाओं के सम्बन्ध में करार

भारत गणतंत्र की सरकार तथा गण प्रजातंत्री बंगलादेश की सरकार,
जिन्हें आगे 'संविदाकारी पदा' कहा गया है ;

इसे दृष्टि में रखते हुए कि दोनों देशों के भू-भागों के बीच तथा उनसे
परे समानता तथा पारस्परिकता के आधार पर विमान सेवाएं स्थापित करना और
नागर विमानन के ज्ञान में उनके संबंधों को मजबूत करना चाहनीय है ;

इस विश्वास के साथ कि विमान सेवाएं स्थापित करने से दोनों राष्ट्रों
के बीच मैत्री एवं सौहार्द की भावना को बनाये रखने व प्रोत्साहित करने में सहायता
मिलेगी ;

तथा मुरादात, नियमित, कुशल एवं मितव्ययी हवाई परिवहन की
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ;

और उक्त प्रयोजनों के लिए एक करार करने की इच्छा से ;
निम्नलिखित बातों पर सहमत हुई हैं ;

बनुच्छेद 1

जब तक प्रसंग से कोई अन्य कर्त्ता अमीर न हो, प्रस्तुत करार के प्रयोजन
के लिए :-

- (क) 'वैमानिक प्राधिकारी' पद का आशय भारत गणतंत्र के संबंध में
नागर विमानन का महानिदेशक या कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय
होगा जिसे उन कार्यों के करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो
जिन्हें इस समय उक्त महानिदेशक द्वारा किया जाता है ;
(ख) 'वैमानिक प्राधिकारी' पद का आशय गण प्रजातंत्री बंगलादेश के
संबंध में नागर विमानन का महानिदेशक या कोई ऐसा व्यक्ति या
निकाय होगा जिसे उन कार्यों के करने के लिए प्राधिकृत किया गया
हो जिन्हें इस समय उक्त महानिदेशक द्वारा किया जाता है ;

-: 2 :-

- (ग) 'नामित विमान कम्पनी' पद का बाश्य एक ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे एक संविदाकारी पक्षा ने प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्षा को लिखित सूचना दे कर नामित किया है;
- (घ) 'भू-भाग', 'विमान सेवा', 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा' तथा 'यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए रुक्ना' पदों से बाश्य वही है जो 7 दिसंबर, 1944 को 'शिकागो में हस्ताक्षार के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमान अभियान के अनुच्छेद 2 व 96 में उनके लिए क्रमशः निर्णयित किया गया है।

अनुच्छेद 2

प्रत्येक संविदाकारी पक्षा दूसरे संविदाकारी पक्षा को प्रस्तुत करार के अनुबंध में 'विनिर्दिष्ट मार्ग' पर अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएँ ('जिन्हें आगे 'विनिर्दिष्ट मार्ग' तथा 'सम्मत सेवाएँ' कहा गया है) स्थापित करने के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करार में विनिर्दिष्ट अधिकार देता है।

2. प्रस्तुत करार के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संविदाकारी पक्षा की विमान कम्पनी को, अनुसूचित सेवाओं का पारचालन करते समय, निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे : -

- (क) बाहर उतरे हुए संविदाकारी पक्षा के भू-भाग से हो कर उड़ान करना ;
- (ख) यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्षा के भू-भाग में रुक्ना ।

3. विनिर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवाओंका पारचालन करते समय, एक संविदाकारी पक्षा की नामित विमान कम्पनी को दूसरे संविदाकारी पक्षा के भू-भाग में उन स्थानों पर, जो प्रस्तुत करार के अनुबंध में निर्दिष्ट कर दिए गए हैं यात्रियों, माल तथा डाक के अंतरराष्ट्रीय यातायात को उतारने व चढ़ाने के प्रयोजन के लिए रुकने का अधिकार होगा ।

4. इस अनुच्छेद के किसी भी अंश का अर्थ किसी एक संविदाकारी पदा की विमान कम्पनी को यह अधिकार देना नहीं समझा जाएगा कि वह दूसरे संविदाकारी पदा के भू-भाग में यात्रियों, माल अथवा डाक के ऐसे यातायात को भी चढ़ा सकती है जिसका गंतव्य दूसरे संविदाकारी पदा के भू-भाग में ही कोई अन्य स्थान हो ।

5. एक संविदाकारी पदा के ऐसे कानून, विनियम और अनुदेश जो वायुयान के इस संविदाकारी पदा के भू-भाग में प्रवेश करने, वहाँ से प्रस्थान करने अथवा उसके अन्दर परिचालन करने के संबंध में लागू होते हैं, वे दूसरे संविदाकारी पदा के वायुयान पर भी, उक्त संविदाकारी पदा के भू-भाग में हो कर सेवा परिचालन के दौरान लागू होंगे ।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकारी पदा को यह अधिकार होगा कि वह विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के परिचालन के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पदा को लिखित रूप में एक या बांधक विमान कम्पनियाँ नामित करे ।

2. नामन की सूचना प्राप्त होने पर, दूसरा संविदाकारी पदा अपने ही वैमानिक प्राधिकारियों के माध्यम से इस अनुच्छेद के पैरा 3 व 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नामित विमान कम्पनी को अविलम्ब यथोचित परिचालन अधिकार दे देता ।

3. एक संविदाकारी पदा के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पदा द्वारा नामित विमान कम्पनी से इस बात का आश्वासन मांग सकते हैं कि वे उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के परिचालन पर सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों का पालन करने के लिए सदाचम हैं ।

4. यदि कोई संविदाकारी पदा इस बात से संतुष्ट न हो कि उन विमान कम्पनियों का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण यथा पर्याप्त रूप से दूसरे संविदाकारी पदा अथवा उसके राष्ट्रियों में निहित है तो उसको यह अधिकार होगा कि वह ऐसी विमान कम्पनी के नामन को स्वीकार करने से इन्कार कर दे या प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 2 के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी को रोक दे अथवा

-: 4 :-

ऐसे अधिकारों के प्रयोग के संबंध में विमान कम्पनी पर ऐसी शर्तें ला दे जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

5. इस अनुच्छेद के अंतर्गत नार्मित और प्राधिकृत की गयी विमान कम्पनी सम्पत्ति सेवाओं का पारिचालन किसी भी समय प्रारंभ कर सकती है बश्तौं कि अनुच्छेद 8 और 10 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा चुका है ।

अनुच्छेद 4

प्रत्येक संविदाकारी पदा अपने पास यह अधिकार प्रारूपित रखता है कि यदि दूसरे संविदाकारी पदा की नार्मित विमान कम्पनी ने पहले संविदाकारी पदा के कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन न किया हो, अथवा उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो जिनके अधीन प्रस्तुत करार के अनुसार अधिकार दिए गए हैं, अथवा नार्मित विमान कम्पनी का वास्तविक स्वार्थामत्व और प्रभावी नियंत्रण अब दूसरे संविदाकारी पदा अथवा इसके राष्ट्रियों में निर्वाचित न रहा हो, तो वह पारिचालन प्राधिकार को निलम्बित अथवा प्रतिसंहृत कर सकेगा या उस पर ऐसी उचित शर्तें ला सकेगा जिन्हें वह उचित समझे । जब तक कि संबंधित संविदाकारी पदा के कानूनों तथा विनियमों अथवा प्रस्तुत करार के किसी उपबंध के इससे और आगे अतिलंघन को रोकने की दृष्टि से पारिचालनों का तुरंत निलम्बन अथवा शर्तों का लाया जाना आवश्यक न समझा जाए, तब तक इस प्रकार की कार्यवाही प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 12 के अनुसार संविदाकारी पदों के बीच सलाह-मशविरा करके ही की जाएगी ।

अनुच्छेद 5

कोई भी संविदाकारी पदा अपने भू-भाग में दूसरे संविदाकारी पदा की नार्मित विमान कम्पनी के विमानों द्वारा विमानदोत्रों तथा अन्य विमानन सुविधाओं के उपयोग के लिए उन प्रभारों से अधिक प्रभार न लेगा जो उसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लो पहले संविदाकारी पदा की अपनी राष्ट्रीय विमान कम्पनी के विमानों द्वारा चुकाए जाते हैं ।

-: 5 :-

अनुच्छेद 6

दोनों में से किसी भी संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी द्वारा सम्पत्त सेवाओं पर परिचालित वायुयान एवं ऐसे वायुयान में रखे हुए उनके नियमित उपस्कर, ईंधन व स्नैहकों के भंडार तथा विमान सामग्री (जिसमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ तथा तम्बाकू भी सम्मिलित होंगे) दूसरे संविदाकारी पदा के भू-भाग में पहुंचने पर सीमा-शुल्क, निरीक्षण फीस तथा इसी प्रकार के अन्य प्रभारों से मुक्त होंगे बश्ते कि ऐसे उपस्कर तथा भंडार पुनर्नियति किए जाने तक विमान पर ही रहें। इस प्रकार शुल्क-मुक्त किये गये उपस्कर तथा भंडार दूसरे संविदाकारी पदा के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की निगरानी और नियंत्रण के बिना विमान से उतारे, स्टोर अथवा प्रयुक्त नहीं किए जास्ते।

2. निम्नालिखित वस्तुएं भी अनुकृत शुल्कों, फीसों तथा प्रभारों से मुक्त होंगी, परंतु की गयी सेवाओं से संबंधित प्रभारों से मुक्त नहीं होंगी : -

- (क) दोनों में से किसी भी संविदाकारी पदा के भू-भाग में उस संविदाकारी पदा के प्राधिकारियों द्वारा निश्चित की गयी सीमाओं में विमान पर ले जाई गयी विमान सामग्री (जिसमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ तथा तम्बाकू भी सम्मिलित हैं), जिसका कि दूसरे संविदाकारी पदा के अंतरराष्ट्रीय सेवा पर लगे विमान पर प्रयोग किया जाना हो ;
- (ख) दोनों में से किसी भी संविदाकारी पदा के भू-भाग में विमान पर लाए अथवा रखे गए फालून पुज़े, जिनमें उनके हिस्से-पुज़े भी शामिल हैं, जो दूसरे संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी द्वारा प्रयुक्त हिस्से-पुज़ों विमान में लाने अथवा उनके संधारण, परस्त या बोरहाल के लिए हों ;
- (ग) दूसरे संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी द्वारा सम्पत्त सेवाओं पर परिचालित वायुयान को दिए जाने वाले ईंधन तथा स्नैहक, चाहे इनका प्रयोग यात्रा के उस भाग पर ही किया जाना हो जो उस संविदाकारी पदा के भू-भाग के ऊपर से जाएगी जहाँ से ये विमान पर लिए गए हैं।

-: 6 :-

ऊपर उप-पैरा (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सामग्री को सीमा-शुल्क अधिकारियों की किरानी अथवा नियंत्रण में रखे जाने अथवा प्रयोग किए जाने को कहा जा सकता है।

3. कोई भी संविदाकारी पदा दूसरे संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी को तब तक सीमा-शुल्क, निरीक्षण फीस तथा इसी प्रकार के अन्य प्रभारों से कूट अथवा माफी देने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि दूसरा संविदाकारी पदा पहले संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी को ऐसे ही शुल्क, फीस अथवा प्रभारों से कूट अथवा माफी प्रदान नहीं कर देता।

अनुच्छेद 7

प्रत्येक संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के परिचालन में सब प्रकार से उचित तथा समान अवसर प्राप्त होंगे।

2. एक संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी द्वारा सम्मत सेवाओं के परिचालन में यह ध्यान रखा जास्ता कि दूसरे संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी के हितों की हानि न हो ताकि दूसरा पदा उस सारे मार्ग अथवा उसके किसी भाग में जो सेवाएं चलाता है उस पर कोई अनुचित प्रभाव न पड़ने पाए।

3. प्रदान की जाने वाली धारिता तथा परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कि इस अनुच्छेद के पैरा 1 व 2 में विहित सिद्धांतों के अनुसार, तथा संयुक्त रूप से सम्मत यातायात की अनुमति अदेताओं को ध्यान में रख कर, संविदाकारी पदाओं के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी।

4. प्रदान की जाने वाली धारिता तथा दोनों पदाओं में से किसी भी संविदाकारी पदा की नामित विमान कम्पनी द्वारा परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कि वैमानिक प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी। जब तक इस प्रकार की सहमति या फैसला न हो जाए तब तक धारिता तथा सेवाओं की संख्या के बारे में जो अधिकार पहले से लागू हैं, वे ही लागू रहेंगे।

-: 7 :-

5. इस अनुच्छेद के उपबंधों के बनुसार सम्मत प्रकार से प्रदान की जाने वाली धारिता स्वं परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या का स्पष्ट उल्लेख संविदाकारी पद्धारों के वैमानिक प्रांगकारियों के बीच होने वाले पत्रों के विनिमय में किया जास्ता ।

अनुच्छेद 8

प्रत्येक संविदाकारी पद्धा अपनी नामित विमान कम्पनी से दूसरे संविदाकारी पद्धा के वैमानिक प्रांगकारियों की विमान सेवा के प्रकार, उपयोग किए जाने वाले वायुयान के प्रकार, उड़ानों की अनुसूचियों, ट्रैफ़िक अनुसूचियों से संबंधित सूचना तथा सम्मत सेवाओं के परिचालन से संबंधित अन्य सभी सांत सूचनाओं को, जिनमें ऐसी सूचनाएं भी सम्मिलित होंगी जो वैमानिक प्रांगकारियों को पर्याप्त रूप से इस बात की तसली कराने के लिए आवश्यक हों कि प्रस्तुत करार की शर्तों का आवश्यक पालन हो रहा है, सम्मत सेवाओं के परिचालित होने से पहले जिनी जल्दी हो सके उनी जल्दी भिजवाणा । सम्मत सेवाओं से संबंधित किसी भी परिवर्तन पर भी इस अनुच्छेद की शर्त इसी प्रकार लागू होंगी ।

अनुच्छेद 9

दोनों में से किसी भी संविदाकारी पद्धा के वैमानिक प्रांगकारी दूसरे संविदाकारी पद्धा के वैमानिक प्रांगकारियों को अपनी विमान सेवाओं द्वारा प्रत्येक मास में दूसरे संविदाकारी पद्धा के भू-भाग को या भू-भाग से ले जाए गए यातायात संबंधी बांकड़े मेंजा जिनमें से यातायात के चढ़ने और ऊरने के स्थानों का विवरण भी रहेगा । ऐसे बांकड़े मांग किए जाने पर शीघ्रातिशीघ्र मेज दिए जाएंगे और किसी भी हालत में उस अवधि के, जिस अवधि से वे संबंधित हैं, ३० दिनों के अंदर-अंदर अवश्य मेज दिए जाएंगे ।

अनुच्छेद 10

विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं पर यात्रियों, माल व सामान के वहन के लिए एक संविदाकारी पद्धा की नामित विमान कम्पनी द्वारा लिए जाने वाले ट्रैफ़िक दोनों संविदाकारी पद्धारों की नामित विमान कम्पनियों के बीच सम्मति द्वारा

निर्धारित किए जास्ते तथा उनके चालू किए जाने से पूर्व दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जास्ते । यदि नामित विमान कम्पनियां सहमत न हों सकें तो मामले को संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास भेज दिया जास्ता ।

2. संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों द्वारा सहमत टैरिफों को यथाशीघ्र, तथा किसी भी हालत में उनके चालू किये जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । यदि दोनों में से कोई भी वैमानिक प्राधिकारी उक्त टैरिफों की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के अंदर-अंदर अपनी असहमति प्रकट नहीं करते तो इन्हें अनुमोदित हुआ समझा जास्ता ।

3. यदि टैरिफ हस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार निर्धारित नहीं किए जाते अथवा हस प्रकार निर्धारित किए गए टैरिफों को किसी भी संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी अस्वीकार कर देते हैं, तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी, यथाशीघ्र, आपसी सहमति द्वारा टैरिफों को निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे । यदि संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो मामले को निपटान के लिए संविदाकारी पक्षों के पास भेज दिया जास्ता ।

अनुच्छेद 11

दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी प्रस्तुत करार के प्रवर्तन तथा अर्थ-निर्वचन के संबंध में नियमित रूप से विचारों का बादान-प्रदान करते रहेंगे ।

अनुच्छेद 12

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष प्रस्तुत करार में कोई भी संशोधन करने के लिए किसी भी समय विचार-विमर्श का अनुरोध कर सकता है । यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष यह समझे कि अनुच्छेद 11 के बाश्य के अनुसार विचार-विनियम अनिणीत रहा है तो वह प्रस्तुत करार के अर्थ-निर्वचन तथा उसे लागू करने से

-: 9 :-

संबंध मामलों पर भी विचार-विमर्श का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार का विचार-विमर्श अनुरोध की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर आरंभ कर दिया जाएगा। दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच सहमत हुआ कोई भी संशोधन परस्पर सहमात्र से निर्धारित तथा राजनीय पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा अनुसर्थित की गयी तारीख से लागू होगा।

अनुच्छेद 13

ज्ञानी

यदि प्रस्तुत करार के अर्थ-निर्वचन अथवा लागू करने के संबंध में कोई भी विवाद हो तो पहले संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी परस्पर वार्ता द्वारा उसका फैसला करने का प्रयत्न करेंगे; जिसके असफल होने पर विवाद को फैसले के लिए दोनों संविदाकारी पक्षों के पास भेज दिया जाएगा।

अनुच्छेद 14

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को विनार्दिष्ट मार्गों पर सम्पत सेवाओं के परिचालन के पारिणामस्वरूप खर्च निकाल कर बचा। आय को निर्बाध रूप से विनियम योग्य मुद्रा में अपने मुख्यालय को हस्तांतरित करने का आधिकार प्रदान करेगा बश्तै विक सम्बद्ध संविदाकारी पक्ष की मुद्रा नियंत्रण औपचारिकताओं की पूर्ति कर दी गयी हो।

अनुच्छेद 15

प्रस्तुत करार का अनुबंध करार का ही अं माना जाएगा।

2. प्रस्तुत करार उस पर हस्ताक्षार होने की तारीख को लागू हो जाएगा।

-: 10 :-

अनुच्छेद 16

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को किसी भी समय इस आशय का लिखित नोटिस दे सकता है कि वह वर्तमान क्रार को समाप्त करना चाहता है। यदि इस प्रकार का नोटिस दिया जाता है और यदि दूसरे संविदाकारी पक्ष को नोटिस मिलने के बारह महीने की अवधि से पहले ही समझौता कर के यह नोटिस वापस न ले लिया जाए तो उक्त अवधि की समाप्ति पर यह क्रार समाप्त हो जाएगा।

आज १ दिनांक ५ मई १९७८ को ढाका में छ. मूल प्रतियों पर, जिनमें ओडीजी, हन्दी तथा बांगली भाषाओं में से प्रत्येक की दो-दो प्रतियाँ हैं और जो सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, हस्ताक्षार किए गए। यदि अर्थ-निर्विचन के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो ओडीजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा।

के. पी. एस. मेनन

(के. पी. एस. मेनन)

कृते भारत गणतंत्र की सरकार

गुलाम अली अहमद

(ए.बी. एम. गुलाम मुस्तफा)

कृते गण प्रजातंत्री बंगलादेश की सरकार

गण प्रजातंत्री बंगलादेश की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी को हस खण्ड में निर्दिष्ट मार्गों पर दोनों दिशाओं में समृद्ध सेवाएँ परिचालित करने और भारत गणतंत्र के भू-भाग में हस खण्ड में निर्दिष्ट स्थानों पर यातायात के प्रयोजनों के लिए उत्तरने का अधिकार प्राप्त होगा ।

<u>उड़ान स्थान</u>	<u>मध्यवर्ती स्थान</u>	<u>भारत गणतंत्र के स्थान</u>	<u>आगे के स्थान</u>
1. बंगलादेश	-	कलकत्ता	-
2. बंगलादेश	-	बंबई	(क) बहरी न अथवा दुबाई ; (ख) बंदाद अथवा काहिरा ; (ग) एथन्स अथवा बेल्जियम अथवा पूर्वी बर्लिन अथवा प्रेर ; (घ) फ्रेंकफर्ट अथवा ब्रूसेल्ज अथवा एस्टर्लैंप ; (ड) लन्दन ।

- टिप्पण्यां : (1) बंबई फ्रेंकफर्ट बंबई सेक्टर पर गण प्रजातंत्री बंगलादेश की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी किसी यात्री यातायात का वहन नहीं करेगी ।
(2) उपर्युक्त स्थानों के लिए सेवाएँ उल्लिखित रूप में परिचालित करना आवश्यक नहीं है ।
(3) नामित विमान कम्पनी को निर्दिष्ट मार्गों पर उल्लिखित किसी भी स्थान अथवा स्थानों को छोड़ जाने की छूट होगी ।
(4) 'आगे के स्थान' कालम में दो अथवा दो से अधिक स्थानों के बीच जब 'अथवा' शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ यह होगा कि नामित विमान कम्पनी को अपनी समस्त सेवाओं पर प्रत्येक सेट में से केवल एक ही स्थान से हो कर परिचालन करने का अधिकार होगा । ऐसे स्थान के चयन करने के विमान कम्पनी को किये गये अधिकार का प्रयोग वह प्रत्येक रुप महीने में केवल एक बार ही कर सकती और उस अवधि के दौरान उसे उसी सेट के संबंध में दूसरी बार स्थान चयन का अधिकार नहीं होगा ।

खण्ड 2

भारत गणतंत्र की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी को इस खण्ड में निर्दिष्ट मार्गों पर दोनों दिशाओं में सम्मत सेवाएँ परिचालित करने और गण प्रजातंत्री बंगलादेश के मूँ-भाग में इस खण्ड में निर्दिष्ट स्थानों पर यातायात के प्रयोजनों के लिए उत्तरने का अधिकार प्राप्त होगा ।

उद्याप स्थान	मध्यवर्ती स्थान	गण प्रजातंत्री बंगलादेश के स्थान	आगे के स्थान
1. भारत	-	(क) ढाका (ख) चिट्टागांव	- :- -
2. भारत	-	डाका	(क) रंगून अथवा हनोई अथवा भारत गणतंत्र की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी द्वारा पर्याप्त और सिफारी में से चुना जाने वाला आस्ट्रोलिया का कोई एक स्थान ; (ख) विसंटीन अथवा सेंगोन अथवा जकार्ता अथवा मनीला ; (ग) हांगकांग अथवा सिंगापुर अथवा भारत गणतंत्र की सरकार द्वारा कुआला लम्पुर और पेनांग में से चुना जाने वाला मलेशिया का कोई एक स्थान ; (घ) ओसाका ; (ङ) टोकियो ।

- टिप्पणियाँ : (1) डाका। संगापुर। डाका सेक्टर पर भारत गणतंत्र की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी को किसी यात्री यातायात का वहन नहीं करेगी ।
(2) उपर्युक्त स्थानों के लिए सेवाएँ उल्लिखित त्रैमासिक समय में परिचालित करना आवश्यक नहीं है ।
(3) नामित विमान कम्पनी को निर्दिष्ट मार्गों पर उल्लिखित किसी भी स्थान अथवा स्थानों को छोड़ जाने की छूट होगी ।
(4) भारत गणतंत्र की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी एक ही उड़ान पर डाका तथा चिट्टागांव के लिए सेवाएँ परिचालित नहीं करेगी ।
(5) 'आगे के स्थान' कालम में दो अथवा दो से अधिक स्थानों के बीच जब 'अथवा' शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ यह होगा कि नामित विमान कम्पनी को अपनी समस्त सेवाओं पर प्रत्येक सेट में से केवल एक ही स्थान से हो कर परिचालन करने का अधिकार होगा । ऐसे स्थान के चयन करने के विमान कम्पनी को दिये गये अधिकार का प्रयोग वह प्रत्येक छः महीने में केवल एक बार ही कर सकती और उस अवधि के दौरान उसे उसी सेट के संबंध में दूसरी बार स्थान चयन का अधिकार नहीं होगा ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এবং

প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে

বিমান চলাচল চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার অভিহিত ইহাতে “চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণ” বলিয়া অভিহিত ;

সমতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্থানিক ভিত্তিতে উভয় দেশ তাঁহাদের ভূখণ্ডের মধ্যে ও উহার বাহিরে বিমান চলাচল পরিচালনা করা এবং বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে তাঁহাদের সম্পর্ক জোরদার করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করতঃ ;

বিমান চলাচল প্রচলন জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সমরোতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহায়তা করিবে এই মনোভাব পোষণ-পূর্বক ;

নিরাপদ, নিয়মিত, দক্ষ এবং যিতব্যযী বিমান পরিবহনের আবশ্যকতা মনে রাখিয়া ;

এবং উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করিয়া নিম্নরূপ মতৈকে উপনীত হইয়াছেন :

১ম অনুচ্ছেদ

প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে, এই চুক্তির উদ্দেশ্যে :—

- (ক) “বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ” বলিতে, প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের ক্ষেত্রে, বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত মহাপরিচালক অথবা তিনি বর্তমানে যে সকল দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন সেই সকল দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে ;
- (খ) “বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ” বলিতে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত মহাপরিচালক অথবা তিনি বর্তমানে যে সকল দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন সেই সকল দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে ;
- (গ) “নির্ধারিত বিমান সংস্থা” বলিতে, এই চুক্তির অয় অনুচ্ছেদ মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট লিখিতভাবে যে বিমান সংস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন সেই বিমান সংস্থাকে বুঝাইবে ;
- (ঘ) “ভূ-খণ্ড”, “বিমান চলাচল”, “আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল” এবং “চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বিরতি” অভিব্যক্তিশুলিত অর্থ, ১৯৪৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর শিকাগোতে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কিত কন্ডেনশনের ২ ও ১৬ অনুচ্ছেদে যেকোন করা হইয়াছে, সেইরূপ অর্থ বহন করিবে।

২য় অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ এই চুক্তির পরিশিষ্টে বণিত (যাহা “অভিহিত “স্বীকৃত বিমান চলাচল” এবং “নির্দিষ্ট বিমান-পথ” বলিয়া অভিহিত”) বিমান-পথে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল প্রচলনের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষকে চুক্তিতে বণিত অধিকারসমূহ প্রদান করিবেন ।

২। চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষের বিমান সংস্থা এই চুক্তির বিধানবলী সাপেক্ষে, নির্ধারিত বিমান চলাচল পরিচালনাকালে নিম্নবর্ণিত অধিকার লাভ করিবেন :—

- (ক) চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের ভূ-খণ্ডে অবস্থার না করিয়া উহার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে পারিবে ;

(খ) চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের ভূ-খণ্ডে যাত্রা বিরতি করিতে পারিবে।

৩। চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা নির্দিষ্ট বিমান-পথে স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনাকালে আন্তর্জাতিক পরিবহনে যাত্রী, মাল এবং ডাক চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের ভূ-খণ্ডে এই চুক্তির পরিশিষ্টে বণিত স্থানগুলুহে উঠা-নামা করিতে পারিবে।

৪। এই অনুচ্ছেদের কোন কিছু চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের বিমান সংস্থাকে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের ভূ-খণ্ডের মধ্যে সেই অপর পক্ষের ভূ-খণ্ডের কোন স্থানে প্রেরণের জন্য যাত্রী, মাল বা ডাক গ্রহণের স্থিতিধী প্রদান করে বলিয়া গণ্য হইবে না।

৫। চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের ভূ-খণ্ডে বিমানের আগমন, প্রস্থান অথবা উহার পরিচালন সঞ্চালন আইন, প্রবিধান এবং নির্দেশাবলী চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের বিমানের প্রতি উক্ত ভূ-খণ্ডে বিমান চলাচল পরিচালনাকালে প্রযোজ্য হইবে।

৩ম অনুচ্ছেদ

৩০.৬০. নির্দিষ্ট বিমান-পথে স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ উহার এক বা একাধিক বিমান সংস্থাকে অপর পক্ষের নিকট লিখিতভাবে নির্ধারণ করিয়া দিবার অধিকারী হইবেন।

২। বিমান সংস্থার নির্ধারণ সম্পর্কে অবহিত হইবার পর, চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষ এই অনুচ্ছেদের ৩ ও ৪ প্যারার বিধানবলী সাপেক্ষে, এবং স্বীয় বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উক্ত নির্ধারিত বিমান সংস্থাকে অবিলম্বে যথাযথ বিমান পরিচালনা অনুমতি-পত্র প্রদান করিবেন।

৩। চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণত: প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত শর্তাবলী তাঁহারা পালনের যোগ্য কিনা তৎসমর্কে উক্ত বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি বিধান করিবেন।

৪। যে ক্ষেত্রে বিমান সংস্থাগুলুহের বাস্তব মালিকানা এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চুক্তি সম্পাদনকারী কোন এক পক্ষের বা উহার নাগরিকগণের উপর অপিত থাকে সেই ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ উক্ত বিমান সংস্থার নির্ধারণকরণ যানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের বা এই চুক্তির ২য় অনুচ্ছেদের ৩য় প্যারায় বণিত অধিকার প্রদান প্রত্যাহার করিবার অধিকারী হইবেন অথবা উক্ত এক পক্ষ, অপর পক্ষের বিমান সংস্থা কর্তৃক অনুরূপ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উহার প্রতি প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করিবার অধিকারী হইবেন।

৫। ৮ ও ১০ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী পালিত হইবার পর, এই অনুচ্ছেদ মোতাবেক নির্ধারিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিমান সংস্থা যে কোন সময়ে স্বীকৃত বিমান চলাচল আরম্ভ করিতে পারিবে।

৪র্থ অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের আইন ও প্রবিধানসমূহ চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা পালনে ব্যর্থ হইলে অথবা যে সকল শর্তে এই চুক্তি মোতাবেক অধিকারসমূহ প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে অথবা চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের বা উহার নাগরিকগণের উপর নির্ধারিত বিমান সংস্থার প্রকৃত মালিকানা ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপিত না থাকিলে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষের, বিমান পরিচালনার অনুমতি প্রদান স্থগিত বা রদ করার অথবা উহার মতে প্রয়োজনীয় যথাযথ শর্তাবলী আরোপ করিবার অধিকার সংশ্লিষ্ট অপর পক্ষের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। চুক্তি সম্পাদনকারী সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইন ও প্রবিধানসমূহ অথবা এই চুক্তির কোন বিধান আরও লজ্জন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিমান পরিচালনা অবিলম্বে স্থগিত করা বা শর্তাবলী আরোপ করার প্রয়োজন না হইলে, এই চুক্তির ১২শ অনুচ্ছেদ মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর কেবল অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৫ অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের ভূ-খণ্ডে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার বিমান বিমান-বন্দর ব্যবহার এবং বিমান চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য স্থায়োগ-স্থিতি লাভ করিলে তজ্জন্য প্রথম পক্ষের ভূ-খণ্ডে আরোপিত উন্নয়নের পরিমাণ তাহাদের আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নিয়োজিত জাতীয় বিমান সংস্থার বিমান কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের চেয়ে অধিক হইবে না।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত বিমান-পথে পরিচালিত কোন বিমান, উহার নিয়ন্ত্রণোজনীয় সরঞ্জাম, ও বিমানে সরবরাহকৃত জালানী ও লুভিকেটিং তেল এবং (খাদ্য, পানীয় ও তামাক-জাত দ্রব্যাদিসহ) উহার দ্রব্য-ভাণ্ডার বাবদ কোন বহিঃশুল্ক দিতে হইবে না এবং চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের ভূ-খণ্ডে বিমান পেঁচাইবার পর উহার পরীক্ষণ-ফিস এবং অনুরূপ অন্যান্য খরচাদিও প্রদান করিতে হইবে না, যদি উক্ত বিমানে ঐ সকল সরঞ্জাম এবং সরবরাহ মওজুদ থাকে তবে তাহা পুনরায় রপ্তানী না করা পর্যন্ত কোন ফিস বা খরচ দিতে হইবে না এবং এইরূপে যে সকল সরঞ্জাম ও সরবরাহের উপর হইতে শুল্ক মওকুফ করা হইবে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের শুল্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে ব্যতীত তাহা খালাস বা মওজুদ অথবা ব্যবহার করা যাইবে না।

(নোট:- ২। নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির উপর হইতেও উপরিউল্লিখিত শুল্ক, ফিস এবং অন্যান্য খরচাদি মওকুফ করা হইবে তবে মেরামত সংক্রান্ত খরচাদি মওকুফ করা হইবে না :—

- (ক) চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের ভূ-খণ্ডে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নিয়োজিত বিমানে ব্যবহারের জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী উক্ত পক্ষের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থিরীকৃত সীমানার মধ্যে (খাদ্য, পানীয় ও তামাক-জাত দ্রব্যাদিসহ) যে সকল দ্রব্য বিমানে লাইবেন তাহা ;
- (খ) চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষের ভূ-খণ্ডে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা কর্তৃক বিমানের সংযোগ-সাধন বা উহার রক্ষণা-বেক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা উহার উপকরণ-জীৰ্ণতা সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিমান-উপকরণসহ খুচরা যন্ত্রাংশ উক্ত বিমানের অন্তর্ভুক্ত করা বা লওয়া হইয়া থাকিলে তাহা ;
- (গ) চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার কোন বিমান স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনাকালে উক্ত বিমানে সরবরাহের উদ্দেশ্যে জালানী এবং লুভিকেটিং তেল চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষের ভূ-খণ্ডের মধ্যে সংগৃহীত হইয়া থাকিলে উক্ত সংগৃহীত সরবরাহ বিমানের যাত্রাপথের মধ্যে কোন স্থানে ব্যবহার্য হইলেও এই সকল সরবরাহ।

উপরিউল্লিখিত উপ-অনুচ্ছেদের (ক), (খ) এবং (গ)-এ বর্ণিত দ্রব্যাদি শুল্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হইবে।

৩। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষ অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থাকে বহিঃশুল্ক, পরীক্ষণ-ফিস অথবা অনুরূপ অন্যান্য উন্নয়ন মওকুফ না করিলে বা উহা হইতে অব্যাহতি না দিলে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রথম পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা অনুরূপ বহিঃশুল্ক, পরীক্ষণ-ফিস বা উন্নয়ন হইতে উক্ত অপর পক্ষকে অব্যাহতি দিবেন না অথবা উহা মওকুফ করিবেন না।

৭ অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা নির্দিষ্ট বিমান-পথে স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল প্রকার ন্যায্য ও সমান স্থায়োগ-স্থিতি ভোগ করিবে।

২। চুক্তি সম্পাদনকারী এক পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনাকালে চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার স্বার্থ সম্পর্কে এইজুপে বিবেচনা করিতে হইবে যেন উক্ত সম্পূর্ণ বিমান-পথে বা উহার অংশবিশেষে শেষোক্ত বিমান সংস্থার পরিচালিত বিমান চলাচল অসংগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৩। এই অনুচ্ছেদের ১য় ও ২য় প্যারাগ্রাফটি বিমানের পরিবহন ক্ষমতা এবং উহার চলাচল সংখ্যা চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের সম্ভিক্ষিয়ে স্থির করা হইবে এবং তাহা স্থির করা কালে প্রয়োজনীয় বিমান চলাচলের বিষয়টি তাঁহারা যৌথভাবে বিবেচনা করিয়া দেবিবেন।

৪। চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার জন্য অনুমোদনযোগ্য বহনক্ষমতা বা পরিচালনযোগ্য বিমান চলাচল সংখ্যা উভয় পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের মতেক্য অনুযায়ী বৃক্ষি করা হইবে। অনুরূপ কোন মতেক্য স্বাপিত বা ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিবহন ক্ষমতা এবং বিমান চলাচল সংখ্যা সংক্রান্ত পূর্ব প্রচলিত অধিকার বলবৎ ধাকিবে।

৫। এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী মোতাবেক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বহনক্ষমতা এবং চলাচল সংখ্যা চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পত্র বিনিময়ের স্বার্থ নির্দিষ্ট করা হইবে।

৮ম অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ উহার বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অপর পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের নিকট যথাসম্ভব স্বীকৃত বিমান চলাচল উদ্বোধনের পূর্বে এই চুক্তির শর্তাবলী যথাযথভাবে পালিত হইতেছে এই মর্মে বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের সম্মত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীসহ, বিমান চলাচলের ধরণ, ব্যবহার্য বিমান, ফাইট ও শুল্ক তফসীল এবং স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনা সম্পর্কিত প্রাগাদিক অন্যান্য তথ্যাবলী সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী স্বীকৃত বিমান চলাচলের কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একই প্রকারে প্রযোজ্য হইবে।

৯ম অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী যে কোন পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ, অপর পক্ষের ডু-খণ্ডে বা ডু-খণ্ড হইতে প্রতি মাসে তাহাদের বিমানে যতজন যাত্রী যাতায়াত করিয়াছেন তাহাদের আরোহণ ও অবতরণ স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া উহার পরিসংখ্যান চুক্তি সম্পাদনকারী অপর পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করিবেন। এবং উক্ত পরিসংখ্যান যথাসম্ভব শীঘ্ৰ সরবরাহ করিতে হইবে এবং যে কোন প্রকারে হউক না কেন, তাহা যে সময় সংক্রান্ত সেই সময় হইতে নব্বই দিনের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে।

১০ম অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থা নির্দিষ্ট বিমান-পথে স্বীকৃত বিমানে চলাচলের সময়ে যাত্রী, মাল, যাত্রীর মালামাল বহনের জন্য যে শুল্ক ধার্য করিবেন তাহা চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের নির্ধারিত বিমান সংস্থার সম্ভিক্ষিয়ে স্থির করা হইবে এবং বিমান চলাচল প্রবর্তনের পূর্বে তাহা চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে। নির্ধারিত বিমান সংস্থা মতেক্যে উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে, চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা হইবে।

২। চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের নির্ধারিত বিমান সংস্থার সম্ভিক্ষিয়ে স্থিরীকৃত শুল্ক-তালিকা, যথাশীঘ্ৰ সম্ভব এবং যে প্রকারেই হউক না কেন, বিমান চলাচল প্রবর্তনের প্রস্তাবিত তাৰিখের অন্ততঃ ষাট দিন পূর্বে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। উক্ত শুল্ক-তালিকা প্রাপ্তিৰ তাৰিখ হইতে পঁয়তালিশ দিনের মধ্যে যদি কোন বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ উহা অনুমতি জ্ঞাপন না কৰেন তবে উক্ত শুল্ক-তালিকা অনুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩। এই অনুচ্ছেদের ১য় প্যারা মোতাবেক যদি শুল্ক স্থির করা না হয় অথবা অনুমতিভাবে স্থিরীকৃত শুল্ক চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ যদি অনুমোদন না করেন তাহা হইলে চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ যথাদৈশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রারম্ভিক সম্মতিক্রমে শুল্ক নির্ধারণের জন্য প্রচেষ্টা চালাইবেন। চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদত্তক্ষে উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

১১শ অনুচ্ছেদ

এই চুক্তির প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত মতামত বিনিয়ে করিবেন।

১২শ অনুচ্ছেদ

এই চুক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষ যে কোন সময়ে অনুরোধ জানাইতে পারিবেন। চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষ যদি মনে করেন যে, ১১শ অনুচ্ছেদের তাৎপর্যাধীনে মতামত বিনিয়ের কাজ চূড়ান্ত হয় নাই তাহা হইলে এই চুক্তির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজনও হইতে পারে। এবং তজন্য অনুরোধের তারিখ হইতে ঘটি দিনের মধ্যে উক্ত আলোচনা আরম্ভ হইবে। যে সংশোধনীতে চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষেরই সম্মতি থাকিবে তাহা তাঁহাদের প্রস্তাবের মধ্যে কূটনৈতিক পক্ষায় পত্র বিনিয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত ও অনুমোদিত তারিখে বলৱৎ হইবে।

১৩শ অনুচ্ছেদ

যদি এই চুক্তির ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ সম্পর্কে কোন বিরোধের স্ফুট হয় তবে চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাহা নিষ্পত্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাইবেন এবং এইরূপ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে বিরোধটির জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগণের নিকট উহা প্রেরণ করা হইবে।

১৪শ অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ, চুক্তির অপর পক্ষকর্তৃক বিনিয়ম-নিয়ন্ত্রণ আনুষ্ঠানিকভা পালন সাপেক্ষে উক্ত পক্ষের নির্বাচিত বিমান সংস্থাকে, উহার নিদিষ্ট বিমান-পথে স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনার ফলে যে ব্যয় হইবে তদত্তিরভুক্ত আয়ের অর্ধ অবাধে পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রায় উহার প্রধান কার্যালয়ে স্থানান্তরের অধিকার প্রদান করিবেন।

১৫শ অনুচ্ছেদ

এই চুক্তির পরিশিষ্ট ইহার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

২। এই চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হইতে বলৱৎ হইবে।

১৬শ অনুচ্ছেদ

চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ যে কোন সময়ে চুক্তির অপর পক্ষকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া এই চুক্তির অবসান ঘটাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন। অনুকূল নোটিশ প্রদান করার পর, চুক্তির অপর পক্ষ কর্তৃক উহা প্রাপ্তির তারিখের বার মাস পর এই চুক্তির অবসান হইবে যদি উক্ত যোদাদ উক্তীর্ণ হইবার পূর্বে কোন চুক্তির দ্বারা উক্ত নোটিশ প্রত্যাহার করা না হয়।

অদ্য ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় এই চুক্তির দুইটি ইংরাজী, দুইটি হিন্দী এবং দুইটি বাংলা ভাষায় মোট ছয়টি মূল লিপি সম্পাদিত হইল। এই মূল লিপিসমূহ সম্ভাবে অনুমোদিত, তবে ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে ইংরাজী পাঠই প্রাধান্য পাইবে।

গোলাম গোলাম

(এ. বি. এম. গোলাম মোস্তফা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে।

কে. পি. এস. মেনন

(কে. পি. এস. মেনন)

প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের পক্ষে।

পরিশিষ্ট

১ ধারা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত বিমান সংস্থা এই ধারায় নির্দিষ্ট বিমান-পথের উভয় দিকে স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনার অধিকারী হইবে এবং বিমান চলাচলের উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রী ভারত-ভুখণ্ডের তথাবণিত স্থানসমূহে অবতরণ করিতে পারিবে।

যাত্রা শুরুর স্থান	মধ্যবর্তী স্থান	প্রজাতন্ত্রী ভারতের অন্তর্গত স্থানসমূহ	বহির্ভূত স্থানসমূহ
১। বাংলাদেশ	নাই	কলিকাতা	নাই
২। বাংলাদেশ	নাই	বোম্বাই	(ক) বাহরাইন অথবা দুবাই ; (খ) বাগদাদ অথবা কায়রো ; (গ) এথেন্স অথবা বেলগ্রেড অথবা পূর্ব বালিন অথবা প্রাণ ; (ঘ) ফ্রাঙ্কফুট অথবা ব্রাসেল্স অথবা আমষ্টার্ডাম ; (ঙ) লঞ্চন।

টীকা :— (১) বোম্বাই/ফ্রাঙ্কফুট/বোম্বাই অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত বিমান সংস্থা যাত্রী বহন করিবে না।

(২) উপরি-উল্লিখিত স্থানসমূহে নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী বিমান পরিচালনার প্রয়োজন নাই।

(৩) নির্ধারিত বিমান সংস্থাসমূহের ইচ্ছাক্রমে নির্দিষ্ট বিমান-পথের কোন স্থান বা স্থানসমূহকে বাদ দেওয়া যাইবে।

(৪) “বহির্ভূত স্থানসমূহ” শীর্ষক কলামে উল্লিখিত দুই বা ততোধিক স্থানের নামের মধ্যে “অথবা” শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বুঝাইবে যে, নির্ধারিত বিমান সংস্থা তাহাদের সকল বিমান চলাচল পরিচালনার স্থান-সমষ্টি হইতে একটিমাত্র স্থানে বিমান চলাচল পরিচালনা করিতে পারিবে। অনুরূপ স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিমান সংস্থার সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষমতা প্রতি ছয় মাসে মাত্র একবার প্রয়োগ করা যাইবে এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে একই স্থান-সমষ্টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার নির্বাচন ক্ষমতা প্রয়োগের স্বয়েগ থাকিবে না।

३ धारा

প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের নির্ধারিত বিমান সংস্থা এই ধারায় নির্দিষ্ট বিমান-পথের উভয় দিকে স্বীকৃত বিমান চলাচল পরিচালনা করিবার অধিকারী হইবে এবং বিমান চলাচলের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের তথাবণিত স্থানসমূহে অবস্থান করিতে পারিবে।

টীকা :- (১) ঢাকা/সিঙ্গাপুর/ঢাকা অঞ্চলে প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের নির্ধারিত বিমান গংস্থা যাত্রী বহন করিবে না।

(২) উপরি-উল্লিখিত স্থানসমূহে নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী বিমান পরিচালনার প্রয়োজন নাই।

(৩) নির্ধারিত বিমান সংস্থাসমূহের ইচ্ছাক্রমে নির্দিষ্ট বিমান-পথের কোন শ্রান্তি বা স্থানস্থানকে বাদ দেওয়া যাইবে।

(8) প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের নির্দিষ্টভাবে বিশ্বান সংস্থার কোন বিশ্বান একই ফ্লাইটে ঢাকা এবং ঢাঁকাম চলাচল করিবে না।

(৫) “বহির্ভূত স্থানসমূহ” শীর্ষক কলামে দুই বা ততোধিক স্থানের নামের মধ্যে “অথবা” শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বুঝাইবে যে, নির্ধারিত বিমান সংস্থা তাহাদের সকল বিমান চলাচল পরিচালনার স্থান-সমষ্টি হইতে কেবলমাত্র এক স্থানে বিমান চলাচল পরিচালনা করিতে পারিবে। অনুরূপ স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিগান সংস্থার যে ঐচ্ছিক ক্ষমতা সংবর্ধিত রহিয়াছে তাহা উক্ত সংস্থা প্রতি ছয় মাসে মাত্র একবার প্রয়োগ করিবে এবং সেই মেরাদের মধ্যে উক্ত একই স্থান-সমষ্টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছিতীয়বার কোন নির্বাচন ক্ষমতা প্রয়োগের স্বয়োগ থাকিবে না।

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
RELATING TO AIR SERVICES

The Government of the Republic of India and the
Government of the People's Republic of Bangladesh, herein-
after described as the "Contracting Parties";

fm
CONSIDERING that it is desirable to establish on
the basis of equality and reciprocity air services between
and beyond the territories of the two countries and to
strengthen their relations in the field of civil aviation;

Koth
RECOGNISING that the establishment of air ser-
vices would help to preserve and promote friendship and
understanding among peoples;

MINDFUL OF the need for safe, regular, efficient
and economical air transport;

AND DESIRING to conclude an Agreement for the
above purposes;

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

ARTICLE I

For the purpose of the present Agreement, unless

...../2

the context otherwise requires :-

- (a) the term "aeronautical authorities" shall mean in the case of the Government of the Republic of India, the Director General of Civil Aviation or any person or body authorised to perform the functions presently exercised by the said Director General;
- (b) the term "aeronautical authorities" shall mean in the case of the People's Republic of Bangladesh, the Director General of Civil Aviation or any person or body authorised to perform the functions presently exercised by the said Director General;
- (c) the term "designated airline" shall mean an airline which one Contracting Party has designated in writing to the other Contracting Party, in accordance with Article III of the present Agreement;
- (d) the terms "territory", "air service", "international air service" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them

in Articles 2 and 96 of the Convention
on International Civil Aviation opened
for signature at Chicago on the 7th
December 1944.

ARTICLE II

fm. Each Contracting Party grants to the other Con-
tracting Party the rights specified in the present Agreement
for the purpose of establishing international air services
on the routes specified in the Annex hereto (hereinafter
called "the agreed services" and "the specified routes"). *LGH*

2. Subject to the provisions of the present Agreement,
the airlines of each Contracting Party shall, while operating
scheduled services, enjoy the following rights :-

- (a) to fly without landing across the
territory of the other Contracting
Party,
- (b) to make stops in the territory of
the other Contracting Party for
non-traffic purposes.

3. While operating the agreed services on the specified
routes, the designated airlines of one Contracting Party shall

have the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Annex to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail.

4. Nothing in this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

5. The laws, regulations and instructions of one Contracting Party relating to the entry into, departure from, or operation of aircraft within the territory of the said Contracting Party shall apply to the aircraft of the other Contracting Party in the operation of air services while within such territory.

ARTICLE III

Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, through its own aeronautical authorities

and subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, without delay grant to the designated airlines the appropriate operating authorisation.

3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airlines designated by the other Contracting Party to satisfy them that they are qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by them to the operation of international air services.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of the airlines or to withhold the grant to the airlines of the right specified in paragraph 3 of Article II of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airlines of such rights in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of those airlines are vested in the other Contracting Party or its nationals.

5. The airlines designated and authorised under this Article may begin to operate the agreed services at any time provided the requirements of Articles VIII and X have been complied with.

ARTICLE IV

Each Contracting Party reserves to itself the right to suspend or revoke the operating authorisation or to impose such appropriate conditions as it may deem necessary in case of failure by the designated airlines of the other Contracting Party to comply with the laws and regulations of the former Contracting Party, or in case there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted in accordance with the present Agreement or in case substantial ownership and effective control of the designated airlines no longer vest in the other Contracting Party or its nationals. Such action shall be taken only after consultation between the Contracting Parties in accordance with Article XII of the present Agreement unless an immediate suspension of operations or imposition of conditions is necessary to prevent further infringement of the laws and regulations of the Contracting Party concerned or of any provision of the present Agreement.

LPH

ARTICLE V

The charges imposed in the territory of one Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities by the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party shall not be higher than those

paid by the aircraft of the national airlines of the former Contracting Party engaged in similar international air services.

ARTICLE VI

Aircraft operated on the agreed services by the designated airlines of either Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other similar charges on arrival in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported. The equipment and supplies so exempt shall not be unloaded, stored or used except under the supervision and control of the customs authorities of the other Contracting Party.

2. The following shall also be exempt from the above mentioned duties, fees and charges but not from charges relating to the services rendered :-

- (a) aircraft stores (including food, beverages and tobacco) taken on board in the territory of either Contracting Party within limits fixed by the authorities of the said Contracting Party

for use on board the aircraft engaged
in an international service of the
other Contracting Party;

(b) spare parts including components
introduced or taken on board the air-
craft in the territory of either Con-
tracting Party for incorporation in
or for maintenance, repair or overhaul
of the components/aircraft used by the
designated airline of the other Con-
tracting Party;

(c) fuel and lubricants intended for being
supplied to aircraft operated on the
agreed services by the designated air-
lines of the other Contracting Party,
even when these supplies are to be
used on the part of the journey per-
formed over the territory of the Con-
tracting Party in which they are taken
on board.

Materials referred to in sub-paragraphs (a), (b)
and (c) above may be required to be kept or used under
customs supervision or control.

3. Neither Contracting Party shall be obliged to
grant to the designated airlines of the other Contracting

Party, exemption or remission of customs duty, inspection fees or other similar charges unless such other Contracting Party grants exemption or remission of such duty, fees or charges to the designated airlines of the first Contracting Party.

ARTICLE VII

fm. The designated airlines of each Contracting Party shall enjoy in all respects fair and equal opportunity in the operation of the agreed services on the specified routes.

KPA 2. In the operation of the agreed services by the designated airlines of one Contracting Party, the interests of the designated airlines of the other Contracting Party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or part of the same route.

3. The capacity to be provided and the frequency of services to be operated shall be as agreed between the aeronautical authorities of the Contracting Parties in accordance with the principles laid down in paragraphs 1 and 2 of this Article and by taking into consideration the estimated requirements of traffic to be jointly agreed.

4. Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by the designated

airlines of either Contracting Party shall be as agreed between the aeronautical authorities. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.

5. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated as agreed to in accordance with the provisions of this Article, shall be specified in an exchange of letters between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE VIII

Each Contracting Party shall cause its designated airlines to supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable prior to the inauguration of the agreed services, information relating to the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules, the tariff schedules, and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may reasonably be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of the present Agreement are being duly observed. The provisions of this Article shall like-wise apply to any changes concerning the agreed services.

ARTICLE IX

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on their air services to or from the territory of the other Contracting Party showing the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as early as possible and in any case within ninety days of the period to which they relate.

ARTICLE X

The tariffs to be charged by any designated airline of a Contracting Party for carriage of passengers, cargo and baggage on the agreed services on the specified routes shall be fixed by agreement between the designated airlines of both Contracting Parties and shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties before their introduction. If the designated airlines fail to agree, the matter shall be referred to the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

2. The tariffs agreed by the designated airlines of the Contracting Parties shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties as soon as possible, and in any case at least 60 days before the proposed date of their introduction. If neither of the aeronautical authorities express disapproval within 45 days from

the date of receipt of the said tariffs, these shall be considered as approved.

3. In the event that tariffs are not fixed in accordance with paragraph 1 of this Article or that the aeronautical authorities of any Contracting Party disapprove of the tariffs so fixed, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour, as expeditiously as possible, to determine the tariffs by mutual agreement. Should the aeronautical authorities of the Contracting Parties fail to reach such agreement, the matter shall be referred to the Contracting Parties for settlement.

ARTICLE XI

The aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall exchange views regularly on the application and interpretation of the present Agreement.

ARTICLE XII

Consultations may be requested at any time by either Contracting Party for the purpose of initiating any amendment to the present Agreement. Consultations may also be required on matters concerning the interpretation and application of the present Agreement if either Contracting Party considers that an exchange of views within the meaning of Article XI has been inconclusive. Such consultations

shall begin within a period of sixty days from the date of request. Any amendment agreed between the two Contracting Parties shall come into force on the date to be mutually determined and confirmed by an exchange of diplomatic notes.

ARTICLE XIII

If any dispute arises relating to the interpretation or application of the present Agreement, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiation between themselves, failing which the dispute shall be referred to the Contracting Parties for settlement.

ARTICLE XIV

Each Contracting Party shall grant to the designated airlines of the other Contracting Party the right to transfer to its head office in a freely convertible currency the excess of receipts over expenditure resulting from the operation of the agreed services on the specified routes, subject to fulfilment of exchange control formalities of the Contracting Party concerned.

ARTICLE XV

The Annex to the present Agreement shall be deemed to be a part of the Agreement.

2. The present Agreement shall come into force on the date of signature thereof.

ARTICLE XVI

Either Contracting Party may, at any time, give written notice to the other of its desire to terminate the present Agreement. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the aforesaid notice is withdrawn by agreement before the expiry of this period.

DONE at Dacca, this 5th day of May 1978 in six originals, two each in the English, Hindi and Bengali languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.



(K. P. S. Menon)

For the Government
of the Republic of India



(A. B. M. GHULAM MOSTAFA)

For the Government of the
People's Republic of Bangladesh

A N N E X

Section I

The airlines designated by the Government of the People's Republic of Bangladesh shall be entitled to operate the agreed services in both directions on the routes specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of the Republic of India at the points specified therein.

Points of origin	Intermediate points	Points in the Republic of India	Points beyond
1. Bangladesh	Nil	Calcutta	Nil
2. Bangladesh	Nil	Bombay	a) Bahrain or Dubai; b) Baghdad or Cairo; c) Athens or Belgrade or East Berlin or Prague; d) Frankfurt or Brussels or Amsterdam; e) London.

- NOTES: 1. On the sector Bombay/Frankfurt/Bombay, the airlines designated by the Government of the People's Republic of Bangladesh shall not carry any passenger traffic.
2. Points mentioned above need not be served in the order specified.
3. Any point or points on the specified routes may be omitted at the option of the designated airlines.
4. The word 'or' when used between two or more points in the column 'points beyond' shall mean that only one point from each set may be served by the designated airlines on all their services. The option reserved to the airlines to select such a point shall be exercised only once every six months and no second option shall be available in respect of the same set of points during such period.

Section II

The airlines designated by the Government of the Republic of India shall be entitled to operate the agreed services in both directions on the routes specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of the People's Republic of Bangladesh at the points specified therein.

Points of origin	Inter-mediate points	Points in the People's Republic of Bangladesh	Points beyond
1. India	Nil	a) Dacca b) Chittagong	Nil Nil
2. India	Nil	Dacca	a) Rangoon or Hanoi or a point in Australia to be selected by the airlines designated by the Government of the Republic of India out of Perth and Sydney; b) Vientien or Saigon or Jakarta or Manila; c) Hongkong or Singapore or a point in Malaysia to be selected by the airlines designated by the Government of the Republic of India out of Kuala Lumpur and Penang; d) Osaka; e) Tokyo.

- NOTES:
1. On the sector Dacca/Singapore/Dacca, the airlines designated by the Government of the Republic of India shall not carry any passenger traffic.
 2. Points mentioned above need not be served in the order specified.
 3. Any point or points on the specified routes may be omitted at the option of the designated airlines.
 4. The airlines designated by the Government of the Republic of India shall not serve Dacca & Chittagong on the same flight.
 5. The word 'or' when used between two or more points in the column 'points beyond' shall mean that only one point from each set may be served by the designated airlines on all their services. The option reserved to the airlines to select such a point shall be exercised only once every six months and no second option shall be available in respect of the same set of points during such period.

...